

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम,

2009

(2009 का 2)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 09 मार्च, 2009

फाइल सं. 409-12/2008-एफएन ..... भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार, 2003 (2003 का 4) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1.(1) इन विनियमों को दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम, 2009 कहा जाएगा
(2) ये अप्रैल, 2009 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होंगे ।
2. दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4), (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है) में, -
(क) विनियम 4 में, " अनुसूची-III - एक्सेस डेफिसिट प्रभार (एडीसी)" प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-  "अनुसूची IV - शॉर्ट मेसेज सर्विस (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी)";
(ख) विनियम 5 में, उप-विनियम (IV) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएंगे, अर्थात् :-
"(v) अनुसूची II के पैरा (क) के अंतर्गत निर्दिष्ट भारत के भीतर लंबी दूरी की

**कॉलों हेतु कैरिज प्रभारों के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकता.**— प्रत्येक राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक, तिमाही आधार पर, कैरिज प्रभार की प्रति मिनट दर तथा भारत के भीतर इसके द्वारा प्रत्येक बीएसओ/सीएमएसपी/यूएसएल/आईएलडीओ से, अलग-अलग, प्राप्त की गई लंबी दूरी की कॉलों के लिए ऐसे कैरिज प्रभार की कुल राशि की रिपोर्ट प्राधिकरण को करेगा, तथा प्रत्येक बीएसओ/सीएमएसपी/यूएसएल/आईएलडीओ, तिमाही आधार पर, भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए प्रति मिनट कैरिज प्रभारों तथा उसके द्वारा प्रत्येक राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक को, अलग-अलग, संदत्त भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए ऐसे कैरिज प्रभारों की रिपोर्ट, प्राधिकरण को करेगा तथा ऐसी तिमाही रिपोर्ट प्राधिकरण को पिछली तिमाही की समाप्ति के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

**(vi) अनुसूची IV के पैरा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट शार्ट मैसेज सेवा (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार की रिपोर्टिंग आवश्यकता.**— प्रत्येक बीएसओ/सीएमएसपी/यूएसएल/एनएलडीओ/आईएलडीओ, तिमाही आधार पर, एसएमएस के लिए अंतरसंयोजन उपभोग प्रभार की दर तथा इसके द्वारा अन्य बीएसओ/सीएमएसपी/यूएसएल/एनएलडीओ/आईएलडीओ से प्राप्त तथा इसके द्वारा अन्य बीएसओ/सीएमएसपी/यूएसएल/एनएलडीओ/आईएलडीओ को, अलग-अलग, संदत्त एसएमएस के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार की कुल राशि के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेगा तथा ऐसी तिमाही रिपोर्ट प्राधिकरण को पिछली तिमाही की समाप्ति के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।”

3. प्रधान विनियमों की अनुसूची-I में, पैरा 1 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“1. टर्मिनेशन चार्ज

स्थानीय और राष्ट्रीय लंबी दूरी की वॉयस कॉलों से फिक्सड वायरलाइन को, स्थानीय लूप में वायरलैस (फिक्सड), स्थानीय लूप में वायरलैस (मोबाइल), सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (2जी एवं 3जी दोनों) के लिए टर्मिनेशन चार्ज 0.20 रु0 (बीस पैसे केवल) प्रति मिनट की दर पर समान होंगे तथा आवक अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की वॉयस कॉलों से ऐसे फिक्सड वायरलाइन को, स्थानीय लूप में वायरलैस (फिक्सड), स्थानीय लूप में वायरलैस (मोबाइल), सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (2जी एवं 3जी दोनों) के लिए टर्मिनेशन चार्ज 0.40 रु0 (चालीस पैसे केवल) प्रति मिनट की दर पर समान होंगे।”।

4. प्रधान विनियमों की अनुसूची II में,

**(क)** पैरा (ख) में, “0.20 रु0 (बीस पैसे केवल) प्रति मिनट से कम होने चाहिए” शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, “0.15 रु0” (पंद्रह पैसे केवल) प्रति मिनट से कम होंगे” शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी ; ।

(ख) पैरा (ग) के पश्चात्, तथा अनुसूची II की टिप्पणियों से पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(घ) ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (टीएएक्स) ट्रांजिट प्रभार. सभी मामलों में, सेल्युलर प्रचालकों द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड की सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की एक्सेसिंग के लिए ट्रांजिट प्रभार को छोड़कर, जोकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भारत संचार निगम लिमिटेड के सेलवन समापन परियात के लिए ट्रांजिट प्रभार) विनियम, 2005 (2005 का 10) अथवा किस अन्य प्रवृत्त विधि द्वारा विनियमित किया जाता है, को छोड़कर एक्सेस ट्रांजिट प्रभार 0.15 रू0 (पंद्रह पैसे केवल) प्रति मिनट से कम होंगे, और उक्त सीमा के अध्यक्षीन, संबंधित सेवा प्रदाताओं द्वारा पारस्परिक वाणिज्यिक करार के माध्यम से निर्णित किए जाएंगे।

(ङ) लेवल II ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (टीएएक्स) से एसडीसीए तक ट्रांजिट कैरिज प्रभार.

सेल्युलर मोबाइल नेटवर्कों से फिक्सड नेटवर्क तक, एलडीसीए के लेवल II ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (टीएएक्स) से सौंपे गए अंतरासर्किल परियात के कैरिज के लिए, जिसमें कॉल एसडीसीए तक समाप्त की जानी है, के लिए ट्रांजिट कैरिज प्रभार, दूरी को ध्यान में न रखते हुए, प्रति मिनट 0.15 रू0 (पंद्रह पैसे केवल) होगा।”।

5. प्रधान विनियमों की अनुसूची III में, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

#### “अनुसूची-IV

शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी)

शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी). – शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) प्रविरत रहेंगे:

परंतु यह कि ऐसे प्रभार पारदर्शी, व्यतिकारी तथा गैर-भेदभावपूर्ण होंगे।”।

(लव गुप्ता)

प्रधान सलाहकार  
(अंतरसंयोजन एवं फिक्सड नेटवर्क प्रभाग)

टिप्पणी 1 – प्रधान विनियम दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 (2003 का 4) की अधिसूचना संख्या 409-5/2003-एफएन में प्रकाशित हुए थे तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए:-

- (i) 409-5/2003-एफएन दिनांक 25 नवम्बर 2003 (2003 का 5) (पहला संशोधन);
- (ii) 409-5/2003-एफएन दिनांक 12 दिसम्बर 2003 (2003 का 6) (दूसरा संशोधन);

- (iii) 409-5/2003-एफएन दिनांक 31 दिसम्बर 2003 (2003 का 7) (तीसरा संशोधन);
- (iv) 409-8/2004-एफएन दिनांक 06 जनवरी 2005 (2005 का 1) (चौथा संशोधन);
- (v) 409-8/2004-एफएन दिनांक 11 अप्रैल 2005 (2005 का 7) (पांचवां संशोधन)  
जिसे माननीय टीडीसैट द्वारा 2005 की अपील सं० 7 में 21 सितम्बर 2005 के अपने आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था;
- (vi) 409-5/2005-एफएन दिनांक 23 फरवरी 2006 (2006 का 1) (छठा संशोधन);
- (vii) 409-5/2005-एफएन दिनांक 10 मार्च 2006 (2006 का 2) (सातवां संशोधन);
- (viii) 409-2/2007-एफएन दिनांक 21 मार्च 2007 (2007 का 2) (आठवां संशोधन);
- (ix) 409-22/2007-एफएन दिनांक 27 मार्च 2008 (2008 का 2) (नौवां संशोधन).

टिप्पणी 2. व्याख्यात्मक ज्ञापन इन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

## “दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम 2009” का व्याख्यात्मक ज्ञापन

### 1. प्रस्तावना – अंतरसंयोजन और अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी)

1.1 टेलीफोनी उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करती है यदि नेटवर्क प्रभावों का यथासंभव अधिकतम दोहन किया जाए। यह किसी उपभोक्ता को अनेक अन्य उपभोक्ताओं तक संपर्क स्थापित करने में समर्थ बनाती है। प्रचालकों तथा नेटवर्कों की बहुलता की स्थिति में, जैसी कि भारत में विद्यमान है, यह संभव है कि एक दूसरे को कॉल करने वाले उपभोक्ता विभिन्न नेटवर्कों से जुड़े हों और वे नेटवर्क प्रभाव का लाभ ले रहे हों, तथा ऐसी स्थिति में यह नितांत अनिवार्य है कि ये नेटवर्क अंतरसंयोजित हों। अनेक किस्मों के एक्सेस नेटवर्कों –फिक्स्ड और मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्कों को एक दूसरे के साथ अंतरसंयोजन स्थापित करना होता है ताकि स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉलें संभव हो सकें। यह विविधता अंतरसंयोजनों के प्रकारों और संख्या को अधिक बनाती है तथा यह स्वाभाविक ही है कि यदि इसे प्रभावशाली ढंग से संचालित नहीं किया गया तो इसमें विकृतियां पैदा हो सकती हैं। यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्रभावी अंतरसंयोजन सभी सार्वजनिक नीतियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा यह दूरसंचार में प्रतिस्पर्धा के अवसर खोलता है।

1.2 जबकि अंतरसंयोजन के लिए सार्वजनिक हित का उद्देश्य अत्यंत सुदृढ़ है, वैयक्तिक प्रचालक इसे भिन्न रूप में देखते हैं। चाहे वे एक्सेस और लंबी दूरी जैसे सहयोगी नेटवर्क हों, अथवा समान क्षेत्र में दो एक्सेस सेवा प्रदाताओं जैसे प्रतिस्पर्धी नेटवर्क हों, अन्य सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क लागत अंतरित करने, यथासंभव राजस्व वसूल करने, प्रतिस्पर्धा में बाधा तथा उनके बाजार हिस्से को जितना अधिक हो सके बनाए रखने अथवा बढ़ाने की प्रवृत्ति से इंकार नहीं किया जा सकता है। इंकम्बेंट, चाहे वे सरकारी हो अथवा निजी, यह नहीं चाहेंगे कि प्रतिस्पर्धी उनके नेटवर्क का लाभ उठाएं, उनके व्यवसाय को झपट लें तथा उच्च लाभ उठाएं। इसके परिणामस्वरूप, दीर्घकालिक एवं महंगा मोलभाव तथा उपभोक्ताओं को प्रभावी सेवाओं, जोकि दूरसंचार सुधारों और बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सर्वोपरि लक्ष्य था, की कीमत पर कटु प्रतिस्पर्धा का खेल प्रारंभ हो जाता है। यह सार्वजनिक हित में है कि प्रभावी अंतरसंयोजन स्थापित किया जाए। इंकम्बेंट प्रचालक यह महसूस कर सकते हैं कि अंतरसंयोजन के व्यावसायिक लाभ प्रधानतः छोटे नेटवर्क से प्रोद्भूत हों और उन्हें नेटवर्क प्रभाव के कारण अधिकतम परिकल्पित मूल्य का लाभ मिले। अतः वे उच्च मूल्य प्रभारित करके अंतरसंयोजन को बाधित करते हैं, जब विनियम ऐसी अनुमति देते हैं अथवा विलंबित होते हैं, जब विनियमों द्वारा दरों को अधिदेशित किया जाता है। एक विशाल नेटवर्क भी उच्च अंतरसंयोजन मूल्य प्रभारित करके प्रवेश वर्जित करने का आशय रखता है जो खुदरा उपभोक्ताओं के समान वर्ग के लिए छोटे प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करता है अथवा कमजोर बनाता है। तब यह स्वाभाविक ही है कि कुछ छोटे प्रदाताओं के लिए अंतरसंयोजन उनके बाजार हिस्से को संभावित चुनौती के रूप में अस्पष्ट हो जाता है जबकि अन्य के लिए यह व्यवसाय

को संचालित करने के लिए एक बुनियादी निवेश होता है। इसके अतिरिक्त, कोई नेटवर्क, जिसमें अन्य चीजें समान हो, उच्च अंतरसंयोजन प्रभारों से लाभ उठाता है, जो इसके राजस्व में वृद्धि करता है। इन कारणों से यह सोचना बुद्धिमानी भरा कार्य नहीं होगा कि अंतरसंयोजन सभी परिस्थितियों के अंतर्गत स्वतंत्र एवं उचित रूप से हो जाएगा। अतः विनियामकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक समर्थकारी अंतरसंयोजन परिवेश प्रदान करने के लिए तथा सब्सक्राइबर के लाभ को अधिकतम करने की आवश्यकता के साथ विनियामक निश्चितता की आवश्यकता का संतुलन करने के लिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए तथा पणधारकों को प्रौद्योगिकीय अभिनवताओं का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाएं।

1.3 मोबाइल प्रचालक, जिनका एक विशाल सब्सक्राइबर आधार है, छोटे और नए प्रचालकों की कीमत पर उच्च टर्मिनेशन चार्ज (समापन प्रभारों) से लाभ उठाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि छोटे एवं नए प्रचालक समापन प्रभारों की बड़ी राशि के निवल भुगतानकर्ता होते हैं क्योंकि उनकी कॉलों का उच्च अनुपात बड़े मोबाइल प्रचालकों पर समाप्त होता है। उच्च समापन प्रभार उनके लाभ-अंतर को तथा उनकी प्रतिस्पर्धी योग्यता को कम कर देते हैं और बड़े सेवा प्रदाताओं को विशिष्ट लागत लाभ देते हैं, जोकि, इसके परिणामस्वरूप, अधिक सब्सक्राइबरों को अर्जित करके समापन बाजार को मजबूत बनाने में समर्थ हैं।

1.4 अन्य अंतरसंयोजन सेवा प्रदाताओं के सब्सक्राइबरों द्वारा की गई कॉलों के समापन में लागत शामिल होती है जिसके लिए सेवा प्रदाताओं को उचित रूप से प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता होती है। विभिन्न सहयोग और प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के मध्य अंतरसंयोजन व्यवस्थाओं को सुकर बनाने तथा उनके बीच बंदोबस्त को अधिक सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए प्रभावी अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों (आईयूसी) को स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसी आईयूसी प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सेवा प्रदाता युक्तिसंगत निबंधन और शर्तों पर ऐसी अंतरसंयोजन सुविधाओं और सेवाओं की एक्सेस हासिल करने में समर्थ हो सकें, जो उनके अपने ग्राहकों को कार्यकुशल सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। एक आईयूसी प्रणाली, जो प्राथमिक रूप से लागतानुसूची है, प्रचालकों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है तथा आर्थिक संसाधनों के दुरुपयोग को कम करती है। यह प्रचालकों को उनके उपभोक्ताओं के लिए उनके टैरिफ के नियतन में तथा अभिनव टैरिफ प्लान पेश करने में पर्याप्त लचीलापन प्रदान करती है। यह ग्राहकों के कल्याण, दूरसंचार के स्थिर विकास तथा देश के आर्थिक विकास को संवर्धित करती है।

## 2. आईयूसी विवादित उद्देश्यों का सामंजस्य करती है

2.1 आईयूसी की स्थापना के लिए आवश्यक है कि वह पणधारकों के विवादित मतों को ध्यान में रखे तथा प्रायः उठने वाले अनेक विवादित उद्देश्यों का सामंजस्य करे। आईयूसी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य एक युक्तिसंगत लागत पर उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला उपलब्ध करना है तथा साथ ही ये सेवाएं आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक कार्यकुशल रूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एक प्रभावी

आईयूसी प्रणाली निवेश आकर्षित करने तथा अवसंरचनात्मक विकास एवं अभिनवता को उद्दीप्त करने के लिए परिस्थितियां सृजित करेगी । इसके साथ-साथ, यह इंकम्बेंट प्रचालकों तथा नए प्रवेशकर्ताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा के लिए परिवेश भी सृजित करेगी । इसका सार यह है कि उदारीकरण के लाभ यथासंभव शीघ्र समाज के विशाल वर्ग को वितरित कर दिए जाने चाहिए ताकि उपभोक्ता बाजार में सेवाओं की पूरी श्रृंखला को एक्सेस करने में समर्थ हो सकें, न कि केवल उन्हीं सेवाओं का लाभ उठाएं जोकि उसका वह एक्सेस प्रदाता उपलब्ध करा रहा है जिसके नेटवर्क से वे जुड़े हुए हैं ।

2.2 आईयूसी प्रणाली की स्थापना करते समय फिक्सड और मोबइल नेटवर्क में प्रतिस्पर्धा, मूल्य, गुणवत्ता, प्रोत्साहनों और निवेश पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दूरसंचार सेवाओं के विकास को आगे ले जाने के लिए आईयूसी के उपयुक्त अवयवों के माध्यम से सेवा प्रदाता को उसके निवेशों और प्रचालनात्मक व्ययों के लिए उचित रूप से प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है। यदि अंतरसंयोजन मूल्य "अत्यंत कम" निर्धारित किया जाता है, तो अकार्यकुशल प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। इंकम्बेंट प्रचालक नेटवर्क में पर्याप्त रूप से निवेश नहीं करेंगे तथा सेवा की गुणवत्ता से समझौता करेंगे। यदि अंतरसंयोजन मूल्य को "अत्यंत उच्च" निर्धारित किया जाता है, तो यह बाजार में कार्यकुशल प्रतिनिधियों द्वारा प्रवेश को हतोत्साहित करेगा। अकार्यकुशलताओं की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा इसे प्रोत्साहन मिलेगा, और कार्यकुशल नेटवर्कों के विकास के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रहेगा। अनेक नए प्रवेशकर्ताओं के लिए, अंतरसंयोजन उनकी बड़ी लागतों में से एक है तथा यह स्थापित प्लेयर्स की ओर से प्रतिस्पर्धा को झेलने की उनकी समर्थता को और उनके नेटवर्कों के विकास को प्रभावित करेगा। सेवा प्रदाता खुदरा उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करने के स्थान पर अन्य कैरियर्स से भुगतानों को अधिकतम बनाने पर अपना ध्यान लगा सकते हैं । उपभोक्ताओं के एक विशाल खंड के लिए सेवाएं अवहनीय हो सकती हैं तथा जो लोग उसे वहन कर सकते हैं, वे भी उनकी आवश्यकता से अधिक का भुगतान कर रहे होंगे।

2.3 प्रयोग की गई कार्यपद्धति प्रभारों के स्तरों की आकलन करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि इस क्षेत्र के विकास की दिशा योजनाओं तथा नीतियों के साथ सुसंगत है । यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि प्रभार सेवा प्रदाताओं को उनकी लागतों को वसूलने में समर्थ बनाए, कॉल समापन के साथ सहयोजित अंतरणों को देखे, यह जांच करे कि क्या वे आर्थिक अथवा सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य से औचित्यसम्मत हैं तथा क्या वे समान प्रतिस्पर्धा क्षेत्र को बनाए रखते हैं।

### 3. समीक्षाधीन प्रणाली का वर्णन

3.1 अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों का ढांचा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2003 के दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003 (2003 का 1) के माध्यम से स्थापित किया गया था । ये विनियम मूलतः 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होने थे परंतु ट्राई को अंतरप्रचालक अंतरसंयोजन प्रभारों के निपटान से संबंधित मुद्दों पर परामर्श करना पड़ा जिसके लिए एक परामर्श-पत्र 30 अप्रैल, 2003 को जारी किया गया । इन

मुद्दों का निपटान अनेक बैठकों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के साथ चर्चा करके किया गया तथा आईयूसी प्रणाली 1 मई, 2003 को लागू की गई। आईयूसी प्रणाली ने कॉलिंग पार्टी पेज (सीपीपी) की प्रणाली की शुरुआत की जोकि भारत में दूरसंचार सेवाओं के तीव्र विकास के लिए कारकों में से संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है।

3.2 अंतरासर्किल एवं अंतरसर्किल तथा साथ ही अंतर नेटवर्क कॉलों के लिए प्रारंभ, कैरिज और समापन विनिर्दिष्ट करने वाली विभिन्न अनुसूचियां इस विनियम की भाग थीं। प्रभार नेटवर्क के उस प्रकार, जिनमें कॉल प्रारंभ और समाप्त हुई तथा सेवा प्रदाता के नेटवर्क में तय की गई दूरी पर आधारित थे। सेल्युअर नेटवर्क के मामले में, प्रभार इस बात पर भी आधारित थे कि क्या गंतव्य नेटवर्क एक महानगर अथवा गैर-महानगर शहर है। समापन प्रभार 15 पैसे से 50 पैसे तथा कैरिज प्रभार 20 पैसे से 1.10 रु0 तक के बीच में दूरी पर आधारित थे। अंतरसंयोजन प्रभार (स्थापना लागतों के लिए देय आवर्ती राशियां अर्थात् पोर्ट प्रभार और लीज्ड लाइन प्रभार) "दूरसंचार अंतरसंयोजन (प्रभार और राजस्व साझेदारी) विनियम, 2001 (2001 का 5) द्वारा विनियमित किए जाते रहे।

3.3 उपर्युक्त विनियम के क्रियान्वयन के पश्चात् ट्राई के पास अनेक संप्रेषण प्राप्त हुए जिनमें टैरिफ प्रणाली तथा आईयूसी प्रणाली, दोनों के ही विषय में समस्याओं को इंगित किया गया था। आईयूसी प्रणाली में सुधार करने तथा उसे सरल और कारगर बनाने के लिए प्राधिकरण ने एक और परामर्श-प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया तथा "आईयूसी मुद्दों " पर एक परामर्श-पत्र 15 मई, 2003 को जारी किया गया। परामर्श प्रक्रिया को पूरा किए जाने के पश्चात् दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) द्वारा एक संशोधित आईयूसी प्रणाली अधिसूचित की गई जिससे पूर्व के विनियमों का अधिक्रमण किया गया था जो 1 फरवरी, 2004 से प्रभावी हुई। इसका उद्योग द्वारा पर्याप्त स्वागत किया गया तथा यह उद्योग के विकास एवं टैरिफ में कमी में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। वर्तमान में दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 का आईयूसी विनियम ही प्रधान विनियम है।

3.4 प्राधिकरण ने दिनांक 17 मार्च, 2005 के अपने परामर्श-पत्र के आधार पर आईयूसी प्रणाली की एक और पुनरीक्षा की। इस परामर्श-पत्र में, विशेष रूप से, अनेक मुद्दों को शामिल किया गया था, जिनमें अन्य बातों के अलावा अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (कैरिज और समापन), राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए संभावित भिन्न समापन प्रभार आदि शामिल थे। प्राधिकरण ने, सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन करने तथा उद्योग के साथ चर्चा करने के उपरांत 23 फरवरी, 2006 को संशोधित आईयूसी प्रणाली अधिसूचित की जोकि 1 मार्च, 2006 से क्रियान्वित की गई। इस विनियम में, प्राधिकरण ने कैरिज प्रभारों पर सीलिंग लगाने का निर्णय लिया जबकि अन्य आईयूसी अवयवों को उन कारणों से समान बनाए रखने का निर्णय लिया जो विनियम के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गए हैं।

3.5 23 फरवरी, 2006 की अपनी समीक्षा में, प्राधिकरण ने नोट किया कि परियात की बढ़ी हुई मात्रा के कारण समापन प्रभार, विशेषतः मोबाइल सेवाओं के लिए, विनिर्दिष्ट

प्रभारों से कम होने चाहिए । प्राधिकरण ने यह आकलन भी किया तथा पाया कि मोबाइल समापन प्रभार तथा फिक्स समापन प्रभार 0.30 रु0 प्रति मिनट के वर्तमान निर्दिष्ट स्तर की तुलना में कम हो सकते हैं । इसके बावजूद, प्राधिकरण ने फिक्स तथा मोबाइल समापन प्रभारों को मुख्य रूप से फरवरी, 2006 के आईयूसी विनियम के पैरा 58 और 59 में दिए गए कारणों से वही बनाए रखने का निर्णय लिया ।

3.6 इस परिवर्तन ने प्रचालकों को लंबी दूरी के टैरिफों को कम करने का मजबूत आधार प्रदान किया तथा इससे लंबी दूरी के नेटवर्कों को अधिकाधिक प्रयोग का मार्ग भी प्रशस्त हुआ । 23 फरवरी, 2006 के विनियम के अधीन अधिसूचित प्रणाली के पश्चात बीएसएनएल द्वारा वन इंडिया स्कीम की घोषणा की गई । इसके पश्चात, एमटीएनएल द्वारा फिक्स लाइन सब्सक्राइबर्स के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच की एसटीडी कॉलों के लिए स्थानीय कॉलों की दर की पेशकश की गई । कुछ निजी सेवा प्रदाताओं ने भी ऐसे ही टैरिफ प्लानों की घोषणा की ।

### 3.7 आईयूसी के घटक

विद्यमान अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) प्रणाली कॉलों के प्रारंभ, संप्रेषण तथा समापन के लिए दूसरे सेवा प्रदाता के नेटवर्क अवयवों को प्रयोग करने के लिए एक सेवा प्रदाता द्वारा एक या अधिक सेवा प्रदाताओं को अदा किए जाने वाले प्रभारों का निपटान करती है । एक कॉल के तीन भाग होते हैं – प्रारंभ, कैरिज/संप्रेषण और समापन जोकि तदनुरूपी प्रभारों में वृद्धि करते हैं ।

#### 3.7.1 प्रारंभ प्रभार

प्रारंभ सेवा प्रदाता को कैरिज/संप्रेषण तथा समापन के लिए प्रभारों का भुगतान करने के पश्चात अवशिष्ट राशि के रूप में प्रारंभ प्रभार रखने की अनुमति है । विद्यमान विनियमों के अनुसार प्रारंभ प्रभार प्रविरत है ।

#### 3.7.2 समापन प्रभार

समापन सेवा प्रदाता, जिसके नेटवर्क का प्रयोग किसी दूरसंचार संदेश की समाप्ति के लिए किया जाता है, को उसके नेटवर्क के प्रयोग करने के लिए भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है । साधारण शब्दों में, वह सेवा प्रदाता, जिसके नेटवर्क से कॉल प्रारंभ होती है, उस सेवा प्रदाता को समापन प्रभारों का भुगतान करता है, जिसमें नेटवर्क में कॉल समाप्त हुई है ।

विद्यमान विनियमों के अनुसार, सभी प्रकार की कॉलों अर्थात् स्थानीय, राष्ट्रीय लंबी दूरी तथा अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए 0.30 रु0 प्रति मिनट की दर से समान समापन प्रभार निर्दिष्ट किए गए हैं ।

#### 3.7.3 भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए कैरिज प्रभार

1 फरवरी, 2004 से 28 फरवरी, 2006 तक प्रचलित कैरिज प्रभार

29 अक्टूबर, 2003 में, आईयूसी की कवायद के अनुसार लंबी दूरी के कैरिज के लिए लागत आधारित प्रभारों का आकलन 0 से 50 किमी, 50+ से 200 किमी., 200+से 500 किमी. तथा 500 किमी से अधिक के दूरी स्लैबों के लिए क्रमशः 0.21 रु0, 0.65 रु0, 0.85 रु0 तथा 0.94 रु0 प्रति मिनट किया गया था । इन लागतों का आकलन बीएसएनएल के आंकड़ों के आधार पर किया गया, जोकि एक एकीकृत प्रचालक है। इस बात पर विचार करते हुए कि स्टैंड एलोन प्रचालकों के लिए प्रासंगिक लागतें अधिक होंगी, आईयूसी विनियम में कैरिज प्रभारों को अंतिम दो दूरी की श्रेणियों के लिए कुछ उच्च स्तरों पर निर्दिष्ट किया गया: वे दूसरी उच्चतम दूरी श्रेणी के लिए लगभग 10 प्रतिशत अधिक हैं तथा उच्चतम दूरी श्रेणी के लिए लगभग 20 प्रतिशत अधिक हैं। भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए कैरिज प्रभार, जैसाकि 29 अक्टूबर के आईयूसी विनियम में निर्धारित किया गया है, उक्त संदर्भित स्लैबों के लिए 0.21रु0, 0.65 रु0, 0.90 रु0 तथा 1.10 रु0 प्रति मिनट हैं । उक्त निर्दिष्ट कैरिज प्रभारों पर, सेवा प्रदाताओं को 50 किमी से अधिक दूरी पर लंबी दूरी की कॉलों के कैरिज प्रभारों के +1/-10 प्रतिशत के भीतर स्पॉट वैल्यू पर मोलभाव करने की अनुमति दी गई ।

### 1 मार्च, 2006 से अभी तक के कैरिज प्रभार

प्राधिकरण ने अपने 23 फरवरी, 2006 के विनियम में कैरिज प्रभारों की समीक्षा की । पणधारकों की पुरजोर राय यह थी कि प्राधिकरण को कैरिज प्रभारों को निर्धारित करना जारी रखना चाहिए तथा इसे कम-से-कम एक सीलिंग प्रकार के रूप में विनियमित करना चाहिए। पणधारकों द्वारा दी गई विभिन्न टिप्पणियों तथा इसके स्वयं के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने वर्ष 2003 में शुरू की गई स्लैब आधारित विनिर्दिष्ट कैरिज प्रभारों की प्रणाली से हटकर ऐसी सीलिंग आधारित प्रणाली अपनाई जिसमें सीलिंग को 0.65 रु0 प्रति मिनट के रूप में निर्दिष्ट किया गया था।

यह नोट किया जाए कि दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 के आईयूसी विनियमों में कैरिज प्रभारों का आकलन केवल बीएसएनएल के लागत आंकड़ों के आधार पर किया गया था तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्टैंड लोन प्रचालकों में लिए प्रासंगिक लागतें अधिक होंगी, आईयूसी विनियम में कैरिज प्रभारों को अंतिम दो दूरी की श्रेणियों के लिए कुछ उच्च राशियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया था । 23 फरवरी, 2006 के विनियम में सीलिंग विनिर्धारित करते हुए प्राधिकरण ने उस समय, प्रचलित एनएलडीओ के कैरिज की भारत औसत लागत पर 25 प्रतिशत का मार्क-अप प्रदान किया था ।

### 3.7.4 अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी कॉलों के लिए कैरिज प्रभार

अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए, अंतरराष्ट्रीय कैरिज प्रभार तथा विदेशी छोर पर समापन का निपटान आईएलडीओ तथा विदेशी कैरियरों के बीच किया गया। 29 अक्टूबर, 2003 के आईयूसी विनियम की अनुसूची II के खंड (ग) के अनुसार ये प्रभार प्रविरत हैं।

### 3.7.5 अंतरा-एसडीसीए ट्रांजिट प्रभार

प्राधिकरण ने निम्नलिखित शर्त के अध्यक्षीन अंतरा-एसडीसीए कॉलों के लिए ट्रांजिट प्रभारों के लिए स्थगन की नीति अपनाई है :

*“एक्सेस प्रदाताओं के मध्य प्रत्यक्ष अंतरसंयोजन अनिवार्य है। अंतरा-एसडीसीए ट्रांजिट के अपवादस्वरूप मामलों के लिए, प्रचालक पारस्परिक बातचीत के माध्यम से प्रभारों पर निर्णय ले सकते हैं तथा यह 0.20 रु0 प्रति मिनट से कम होना चाहिए।”*

### 3.7.6 स्तर II टीएएक्स पीओआई से एसडीसीए तक के लिए ट्रांजिट कैरिज प्रभार

वर्तमान विनियामक ढांचे के अनुसार, सभी प्रचालकों से बीएसएनएल की फिक्स्ड लाइनों तक अंतरासर्किल मोबाइल परियात को बीएसएनएल के फिक्स्ड नेटवर्क में स्तर II टीएएक्स पर सौंपा जा रहा है । स्तर II टीएएक्स से एसडीसीए स्तर का परियात बीएसएनएल द्वारा ले जाया जा रहा है जिसके लिए बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रदाताओं से प्रति मिनट 20 पैसे का विनियमित प्रभार उद्भूत करता है । यदि यह सौंपा जाना किसी अन्य टीएएक्स स्तर पर है, तो प्रासंगिक कैरिज प्रभार का भुगतान अवश्य किया जाएगा ।

## 4. समीक्षा प्रक्रिया

4.1 आईयूसी प्रभारों के नियतन में अनेक कारकों को ध्यान में रखा गया है जो वर्तमान में प्रभावी हैं । बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, सब्सक्राइबर्स की संख्या में भारी वृद्धि तथा टैरिफ में कमी के कारण कॉलिंग पैटर्न, कुल परियात तथा इसके प्रसार में भी बदलाव आए हैं । इसके संघटकों में अधोगामी एवं उच्चगामी संचालन सेवा प्रदान करने की लागत में परिवर्तन लाता है । इसके अलावा, नीति में परिवर्तन तथा विनियामक परिवेश में बदलाव भी इन प्रभारों में से किसी न किसी पर प्रभाव डाल सकता है। निष्क्रिय अवसंरचना साझेदारी ने सेवा प्रदाताओं की कैपेक्स/ओपेक्स संरचना में परिवर्तन किया है। नए लाइसेंस का जारी होना तथा नई कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आबंटन उनके प्रचालनों की व्यवहार्यता के संदर्भ के आधार पर क्षेत्र में पूंजी का संचार कर देगा। प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप परियात को और अधिक कार्यकुशलता से निपटानों की बाध्यता का समावेश हो रहा है। अपने नेटवर्कों को कैपेक्स एवं ओपेक्स तक कम करने की होड में अधिक से अधिक सेवा प्रदाता इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) को अपना रहे हैं तथा संभवतः वे एनजीएन में अंतरित होने की तैयारियां कर रहे हैं। सरकारी इंकम्बेंट्स ने 3जी सेवाएं प्रारंभ कर दी है। प्रासंगिक स्पेक्ट्रम का आबंटन तथा इसके पश्चात अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा 3जी सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। अतः यह विचार करना आवश्यक हो गया है कि ये परिवर्तन आईयूसी को किसी प्रकार प्रभावित करेंगे।

4.2 प्राधिकरण इस बात से पूरी तरह अवगत है कि आईयूसी की पुनरीक्षा एक कठिन प्रक्रिया है जिसमें इसके संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के लिए पणधारकों के साथ नजदीकी संपर्क आवश्यक है। अतः प्राधिकरण ने यह उपयुक्त समझा कि सेवा प्रदाताओं के साथ दो-चरणीय परामर्श प्रक्रिया में चर्चा की जाए। यह निर्णय लिया गया कि सेवा प्रदाताओं के साथ

एक प्रारंभिक व्यापक परामर्श प्रक्रिया आरंभ की जाए तथा उसके बाद एक खुला सार्वजनिक परामर्श किया जाए। प्रारंभिक परामर्श दिनांक 12.09.2008 के संप्रेषण 409-12/2008 एफएन द्वारा किया गया जिसमें बल दिया गया कि आईयूसी प्रणाली बहु-उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यह संसाधन उपयोग को प्रोत्साहित करती है, अंतर प्रचालक निपटानों को निश्चिंतता प्रदान करती है और अंतरसंयोजन करारों को सुकर बनाती है, विकास, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा की अपेक्षित नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता करती है। सेवा प्रदाताओं को समीक्षा के लिए मूलभूत सिद्धांतों, समीक्षा किए जाने वाले अवयवों, आकलन की पद्धति एवं प्रत्येक प्रभार के स्तर तथा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण/मॉडल/कार्यपद्धति पर टिप्पणियां करने के लिए कहा गया था। उन्हें कहा गया था कि वे लागतों, परियात तथा राजस्व पर आंकड़े प्रदान करें जिनका प्रयोग उपयुक्त परिणामों तक पहुंचने के लिए किया जाएगा तथा साथ ही विस्तार से अपने पूर्वानुमानों को भी बताएं जिनमें लागत के आकलनों को रेखांकित किया गया हो। विभिन्न सेवाओं के लिए निपटान किए गए आवक और जावक मिनटों (ऑफ-नेट और ऑन-नेट, अलग-अलग) की कुल संख्या, परियात संवेदी नेटवर्क अवयवों की पहचान तथा प्रत्येक सदृश नेटवर्क अवयव के लिए प्रयोग के प्रासंगिक मिनटों के लिए भी अनुरोध किया गया था। सामान्य प्रतिक्रिया आईयूसी प्रणाली के सभी अवयवों की समीक्षा करने के पक्ष में थी। तथापि, कार्य-पद्धति और प्रभारों के सही स्तर पर राय में मतभेद था। अधिकांश प्रचालकों ने नेटवर्क वास्तुशिल्पीय विवरण तथा परियात आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। पूर्व-परामर्शों के दौरान प्राप्त टिप्पणियों को परामर्श-पत्र तैयार करने के लिए ध्यान में रखा गया जिसे पूर्व-परामर्श की प्रक्रिया के बाद जारी किया गया तथा विकल्पों का मूल्यांकन करते समय भी इस बात पर विचार किया गया।

4.3 सीओएआई की ओर से स्पेक्ट्रम वैल्यू पार्टनर्स द्वारा एक प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें उन्होंने एच-एफएलएलआरआईसी मॉडल को विस्तार से प्रस्तुत किया। ऑस्पी द्वारा एक और प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें उन्होंने सीओएआई द्वारा प्रस्तावित मॉडल के बारे में आपत्ति दर्शाई तथा पहले से ही स्थापित मॉडल को जारी रखने के लिए भी कहा।

4.4 दिनांक 31.12.2008 को एक विस्तृत परामर्श-पत्र जारी किया गया। परामर्श पत्र में सभी अंतरसंबंधित मुद्दों का विस्तार से वर्णन किया गया था, जिसमें शामिल थे - आईयूसी के किस अवयव की पुनरीक्षा की जाए, विषय समापन प्रभार के लिए औचित्य, आईयूसी अवयवों के आकलन के लिए कार्य-पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल के लिए उच्च समापन प्रभार, 3जी, डब्ल्यूआई-मैक्स जैसे भविष्य के विकासों का ध्यान रखने के लिए सुझाव, आदि। पणधारकों को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए 30.01.2009 तक का समय दिया गया। 23 पणधारकों ने जिसमें 13 सेवा प्रदाता, 3 संघ तथा 7 उपभोक्ता समूह और जनता के सदस्य थे, अपनी लिखित टिप्पणियां भेजी जिन्हें ट्राई की वेबसाइट पर डाला गया। 12.02.2009 को दिल्ली में ओपन हाउस चर्चा की गई।

4.5 दिल्ली में ओपन हाउस चर्चा के पश्चात, विद्यमान तथा नए प्रचालकों के सीईओ एवं वरिष्ठ कार्यपालकों को यह अवसर प्रदान किया गया कि वे महत्वपूर्ण समझे जाने वाले किसी अन्य मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करें। इन कंपनियों द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरणों को वेबसाइट पर डाला गया है। व्यक्त किए गए विचारों को आईयूसी की पुनरीक्षा में ध्यान में रखा गया है।

4.6 दूरसंचार क्षेत्र के विषय के महत्व, परामर्श-पत्र द्वारा सृजित रुचि तथा इस अवधि के दौरान पणधारकों द्वारा भेजे गए विभिन्न संप्रेषणों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने हैदराबाद में 26.02.2009 को ओपन हाउस चर्चा के द्वितीय चरण को आयोजित करने का निर्णय लिया। पणधारकों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों का स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें एक प्रस्तुतिकरण दिखाया गया। उन्हें अपनी टिप्पणियां करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इस प्रस्तुतिकरण की एक प्रति ट्राई की वेबसाइट पर भी डाली गई।

4.7 प्राधिकरण ने लिखित प्रारंभिक परामर्शों, परामर्शों अथवा अन्यथा, द्वारा उपलब्ध कराए गए अथवा ओपन हाउस चर्चाओं और प्रस्तुतिकरणों में अधिगम पणधारकों की विभिन्न टिप्पणियों को ध्यान में रखा है। प्राधिकरण ने तुलन-पत्र, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखांकन पृथकीकरण रिपोर्ट आदि जैसे आउटपुटों का भी प्रयोग किया है, जिन तक इसकी पहुंच थी तथा मामले का विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया है। निम्नलिखित पैराओं में परामर्श पत्र में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे की पणधारकों की टिप्पणियों के आलोक में समीक्षा की गई है। स्पष्टता की दृष्टि से पणधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को तिरछी टाइप में दिया गया है तथा उसके पश्चात उस मुद्दे पर प्राधिकरण का विचार दिया गया है।

4.8 कुछ सेवा प्रदाताओं तथा संघों ने सुझाव दिया है कि प्राधिकरण इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने तथा इस पर निर्णय लेने के लिए संयुक्त उद्योग कार्यकारी समूह अथवा एक विषय-निर्वाचन समिति गठित करने पर विचार करे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह और भी महत्वपूर्ण है कि आईयूसी की समीक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाया जाए क्योंकि महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मुद्दों पर विचार किया जाना है। आईयूसी का मुद्दा हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है और इसका प्राधिकरण द्वारा अत्यंत गंभीरता के साथ लिया गया है। न केवल पणधारकों के साथ परामर्श की स्थापित पद्धति को क्रियान्वित किया गया है बल्कि परामर्श प्रक्रिया भी विविधतापूर्ण तथा व्यापक रही है। पूर्व-परामर्श, परामर्श तथा ओपन हाउस स्तरों पर सेवा प्रदाताओं तथा संघों के साथ निरंतर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा, संघों तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण किए गए और ट्राई में उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श किया गया। अतः प्राधिकरण की यह राय है कि किसी कार्यकारी समूह को स्थापित करने से उलझन ही पैदा होगी और उद्योग में अनिश्चितता पैदा होगी।

4.9 तथ्य यह है कि सेवा प्रदाताओं ने अपने स्वयं के वाणिज्यिक हितों के लिए समापन प्रभारों की व्यापक श्रृंखला का प्रस्ताव किया है जोकि नकारात्मक एमटीसी, बिल एवं कीप, कम एमटीसी और अत्यंत उच्च एमटीपी तक हैं, तथा यह आवश्यक नहीं है कि ये विकास को बढ़ावा देने, समान अवसर सृजित करने तथा उपभोक्ता कल्याण से सुसंगत हो सकते हैं। प्रस्तावित पद्धतियां संभव पद्धतियों के समग्र स्पेक्ट्रम को भी कवर करती हैं, जैसाकि पूर्व के खंडों में वर्णित किया गया है।

## **5. परामर्श-पत्र, ओपन हाउस तथा अन्य बैठकों में उठाए गए मुद्दों पर पणधारकों की प्रमुख टिप्पणियों पर विचार**

5.1 प्राधिकरण को कई पणधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुईं । पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाइट पर डाला गया तथा 12 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई । जैसाकि पूर्व में कहा गया है । कुछ सेवा प्रदाताओं तथा संघों ने इस विषय पर प्राधिकरण को प्रस्तुतिकरण भी प्रदान किए । सेवा प्रदाताओं के साथ ओपन हाउस का दूसरा चरण हैदराबाद में 26 फरवरी, 2009 को आयोजित किया गया जहां पणधारकों के साथ दिल्ली में हुए पूर्व परामर्श से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा की गई जैसे एमटीसी के आकलन के लिए कार्य-पद्धति, संगत ओपेक्स पर पहुंचने के लिए ओपेक्स में कुछ मदों की कटौती, लेखांकन पृथक्कीकरण, डाटा की गोपनीयता, मूल्यवर्धित सेवाओं से सृजित राजस्व का निपटान, एसएमएस समापन प्रभार तथा अंतर्राष्ट्रीय आवक कॉलों का समापन । प्राधिकरण ने सभी टिप्पणियों को देखा । उनमें से कुछ पर ओपन हाउस चर्चा में भी चर्चा की गई । निर्णय लेते समय प्राधिकरण ने सभी लिखित टिप्पणियों, ओपन हाउस चर्चा में की गई टिप्पणियों, प्राधिकरण के साथ बैठकों के दौरान किए गए प्रस्तुतिकरण और वीआईपी पत्रों में उठाए गए मुद्दों पर भी विचार किया । परामर्श-पत्र में उठाए गए विशिष्ट मुद्दों पर पणधारकों से प्राप्त कुछ मुख्य टिप्पणियों का सार संबंधित मुद्दे के तहत दिया गया है और उसके बाद वाले पैराओं में उन पर चर्चा की गई है ।

### **5.2 मुद्दा 1 : पुनरीक्षा किए जाने वाले आईयूसी अवयव**

5.2.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को नीचे सार रूप में दिया गया है तथा उनके बाद आने वाले पैराओं में उन पर चर्चा की गई है ।

- (i) किसी संख्या पर पहुंचने के लिए उन सभी अवयवों की लागत संदर्श की दृष्टि से पुनरीक्षा की जानी चाहिए जो उपभोक्ताओं को एंड टैरिफ बनाने के लिए योगदान देते हैं ।
- (ii) समापन प्रभार, कैरिज प्रभार तथा ट्रांजिट प्रभारों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।
- (iii) केवल समापन प्रभारों तथा कैरिज प्रभारों की ही वास्तविक लागत आधार पर पुनरीक्षा की जाने की आवश्यकता है । ट्रांजिट प्रभार की पुनरीक्षा किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक अनिवार्य सेवा नहीं है तथा इसे बातचीत के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए ।
- (iv) एलडीसीए से एसडीसीए के बीच प्रारंभन प्रभार/कैरिज प्रभार/टीएएक्स ट्रांजिट प्रभार/ट्रांजिट/कैरिज प्रभार तथा समापन प्रभार की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।
- (v) प्रारंभन प्रभारों के संबंध में किसी विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।
- (vi) अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों के सभी अवयवों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।
- (vii) अंतरसंयोजन प्रणाली की पुनरीक्षा औचित्यपूर्ण होनी चाहिए ।
- (viii) प्रारंभन प्रभार स्थगन श्रेणी में बना रहना जारी रखा जाना चाहिए ।

- (ix) कॉलिंग कार्ड जैसी सेवाओं के संबंध में प्रारंभन प्रभार अंतरसंयोजनों को समर्थ बनाने के लिए अधिदेशित किए जाने चाहिए ।
- (x) आईएलडी/एनएलडी कॉलिंग कार्डों, एलडीसीए तथा एसडीसीए के बीच कैरिज प्रभार, अंतरसंयोजन की लागत तथा अंतरप्रचालन ट्रांजिटिंग के विशेष संदर्भ में समापन प्रभार/ट्रांजिट प्रभार आरंभन प्रभार की समीक्षा की जानी चाहिए ।
- (xi) प्रारंभन, समापन, पोर्ट प्रभारों तथा अन्य प्रभारों आदि की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है । कैरिज प्रभार सीलिंग की भी पुनरीक्षा की जानी चाहिए । तथापि, विद्यमान सीलिंग को बनाए रखा जाना चाहिए ।
- (xii) लागत के आधार पर समापन और प्रारंभन प्रभार को अधिदेशित किए जाने की आवश्यकता है ।
- (xiii) समापन, कैरिज, ट्रांजिट तथा पोर्ट प्रभारों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।
- (xiv) एमटीपी, एफटीसी, आवक आईएलडी समापन प्रभारों, कैरिज प्रभारों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।

5.2.2 पूर्व-परामर्शों तथा परामर्शों के दौरान, दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 के प्रधान विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी अवयवों की पुनरीक्षा करने के बारे में पुरजोर समर्थन था ।

5.2.3 कुछ पणधारकों ने आईयूसी पुनरीक्षा के भाग के रूप में पोर्ट प्रभारों की पुनरीक्षा के लिए कहा है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि पोर्ट प्रभार प्राधिकरण द्वारा 28 दिसम्बर, 2001 को जारी तथा 02 फरवरी, 2007 को संशोधित 'दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001' नामक एक अन्य विनियम के अधधीन हैं। पोर्ट प्रभारों के आकलन में, पोर्टों के प्रावधान हेतु केवल वर्धित केपेक्स को ध्यान में रखा गया था । हालांकि, पोर्ट प्रदान करने के लिए न केवल स्विच क्षमताओं के, बल्कि इन पोर्टों के माध्यम से नेटवर्क में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त ट्रैफिक का निपटान करने के लिए नेटवर्क के डाउनस्ट्रीम भागों के भी संवर्धन की आवश्यकता है। चूंकि पोर्ट प्रभार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार प्रणाली का भाग कभी नहीं रहे हैं, प्राधिकरण की राय है कि पोर्ट प्रभारों को पोर्ट प्रभारों पर विनियम के अनुसार ही संचालित किया जाना जारी रखा जाना चाहिए तथा इन्हें आईयूसी के साथ विलयित नहीं किया जाना चाहिए ।

5.2.4 कुछ सेवा प्रदाताओं ने आईयूसी प्रणाली के भाग के रूप में कॉलिंग कार्डों के माध्यम से की गई कॉलों के लिए प्रारंभन प्रभारों के अवधारण का भी प्रस्ताव किया है। सामान्य वॉयस कॉलों तथा एनएलडी एवं आईएलडी प्रचालकों द्वारा जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित कॉलिंग कार्डों के माध्यम से कॉलों के बीच सैद्धांतिक अंतर है । कॉलिंग कार्डों के मामले में, सेवा प्रदाता द्वारा धनराशि कार्ड जारी करके संग्रहित की जाती है जबकि कॉलों किसी एक्सेस प्रदाता के नेटवर्क से प्रारंभ होती है जोकि इन कॉलों के लिए ग्राहकों को बिल नहीं देते हैं। एक्सेस प्रदाताओं को सेवा प्रदाताओं द्वारा कार्डों को जारी करके परस्पर सहमत दरों के माध्यम से अथवा विनियमितों के माध्यम से प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि कॉलिंग कार्डों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं का निपटान इंटेलेजेंट नेटवर्क सेवा विनियम दिनांक 27.11.2006 द्वारा किया जा रहा है अतः यह निर्णय लिया कि प्राधिकरण मूल एक्सेस प्रदाता को अदा किए जाने वाले प्रारंभन प्रभार

के निर्धारण के लिए आईएन विनियमों के माध्यम से उपयुक्त अवस्था और समय पर हस्तक्षेप करेगी, जब लंबी दूरी की कॉलें और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा कॉलिंग कार्डों के माध्यम से एनएलडीओ और आईएलडीओ द्वारा प्रारंभ की गई हों।

5.2.5 फिक्स्ड और मोबाइल वॉयस कॉलों के प्रारंभन प्रभार की समीक्षा के संबंध में कुछ सेवा प्रदाताओं ने यह तर्क दिया कि चूंकि बाजारी शक्तियां अच्छा काम कर रही हैं और सेवा वहनीय है इसलिए किसी विनियामक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और प्रविरत की वर्तमान शर्त को जारी रखा जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रारंभन को प्रविरत रखने से मूल प्रचालक को अन्य अनिवार्य आईयूसी प्रभार अदा करने के बाद अवशिष्ट राशि को बनाए रखने में सहायता मिलती है। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि प्रारंभन प्रभार को प्रविरत रखने से सेवा प्रदाताओं को नई टैरिफ प्लान की पेशकश करने की छूट मिलती है। यह बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाने का महत्वपूर्ण कारक है और यह प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में ग्राहक के पक्ष में काम करता है। अतः टैरिफ प्रविरत नीति के मद्देनजर प्राधिकरण ने सामान्य वॉयस कॉल हेतु प्रारंभन प्रभार को प्रविरत रखने का निर्णय लिया।

5.2.6 कुछ सेवा प्रदाताओं ने एसएमएस पर आईयूसी प्रभारों पर चिंता व्यक्त की है। यह नोट किया गया कि इस मुद्दे का निम्न तरीके से पूर्ववर्ती विनियमों में निपटान किया गया है। 29 अक्टूबर, 2003 के आईयूसी विनियम में एसएमएस हेतु आईयूसी को प्रविरत रखा गया था और प्राधिकरण ने यह बताया था कि वह अतिरिक्त डाटा एकत्र करने के आधार पर निकट भविष्य में इस मामले की पुनः समीक्षा करेगा। तदनन्तर, 13.6.2006 को एक परामर्श-पत्र जारी किया गया। परामर्श के आधार पर 21 अगस्त, 2006 को प्राधिकरण का निर्णय जारी किया गया। प्राधिकरण के निर्णय के साथ संलग्न विश्लेषण यहां उद्धृत है :-

*“..... इस समय एसएमएस के बाजार में मोबाइल प्रचालक ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो या तो बिना किसी अंतरसंयोजन प्रभार के बिल एंड कीप प्रणाली चला रहे हैं या उनके पास व्यक्तिकारी प्रभारण प्रणाली है और अपेक्षाकृत संतुलित परियात है.....”* इन निष्कर्षों के मद्देनजर प्राधिकरण ने इस मामले में प्रविरत को जारी रखने का निर्णय लिया।

5.2.7 किसी भी सेवा प्रदाता नेटवर्क में वॉयस हैंडलिंग लागत की अपेक्षा एसएमएस हैंडलिंग में अंतर्ग्रस्त लागत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त, एसएमएस के लिए आईयूसी हेतु लेखांकन में जटिलताएं भी हैं। एसएमएस, एसएस7 सिग्नलिंग चैनल द्वारा भेजा जाता है और आंतरिक रूप से एसएमएस के बिल और उसके समापन के सत्यापन हेतु एक मध्यस्थ प्रणाली की जरूरत है और एसएमएस मैसेज की दर और संख्या की गिनती हेतु बिलिंग प्रणाली हेतु एसएस 7 सीडीआर के सृजन की जरूरत होती है। कई मामलों में समापन प्रचालक को उनके नेटवर्क पर आए मैसेज को एसएमएस की गिनती के रिकार्ड के साथ आपूर्ति हेतु प्रारंभिक प्रचालक पर निर्भर रहना पड़ सकता है। नेटवर्क पर आने वाले एसएमएस की बड़ी संख्या (और बढ़ती हुई) को प्रोसेस करने हेतु बिलिंग प्रणाली को आरोह्य बनाने की जरूरत है। उद्योग में यह प्रथा प्रचलित है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा एक-दूसरे से आईयूसी वसूल नहीं किया जा रहा है।

5.2.8 जीएसएम ग्राहकों द्वारा एसएमएस का अपटेक करना मोबाइल उद्योग की सफलता की कहानी है । साथ ही, इस तथ्य के मद्देनजर कि कुल मिलाकर आज प्रचलित व्यवस्था 'बिल एंड कीप' है तथा यह परस्पर सहमत व्यतिकारी व्यवस्था है, प्राधिकरण यह मानता है कि सेवा प्रदाता एक निष्पक्ष पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से इस व्यवस्था को जारी रखेंगे । अतः प्राधिकरण ने एसएमएस पर आईयूसी के मामले में प्रविरत नीति को जारी रखने का निर्णय लिया । तथापि, बाजार पर नजर रखने के लिए रिपोर्टिंग की आवश्यकता को इसमें शामिल किया जा रहा है ।

5.2.9 पूर्ववर्ती चर्चाओं के मद्देनजर वर्तमान समीक्षा के माध्यम से निम्न कारकों का निर्धारण किया जाना है :-

- (i) फिक्स्ड (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल (3-जी सहित) के लिए समापन प्रभार ।
- (ii) भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए कैरिज प्रभार ।
- (iii) अंतरा एसडीसीए कॉलों और टीएएक्स ट्रांजिट प्रभार हेतु ट्रांजिट प्रभार ।
- (iv) लेवल-1। टीएएक्स से एसडीसीसी टेनडम से ट्रांजिट/कैरिज प्रभार ।
- (v) अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग कॉलों के लिए समापन प्रभार ।
- (vi) एसएमएस हेतु आईयूसी ।

### 5.3 मुद्दा-2 – आईयूसी आकलन हेतु क्रियाविधि

5.3.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का सार नीचे दिया है और निम्न पैराओं में उन पर विचार किया गया है :-

- (i) श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुरूप और सभी संगत लागतों को हिसाब में लेते हुए आईयूसी निर्धारण हेतु हाइब्रिड एफएल-एलआरआईसी मॉडल ।
- (ii) फिक्स्ड और मोबाइल के लिए भी वही सिद्धांत लागू किए जाएं ।
- (iii) हाइब्रिड एफएल:एलआरआईसी – ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाए जो बॉटम अप से टॉप डाउन तक प्राप्त परिणामों का संतोषण करे
- (iv) चूंकि फिक्स्ड लाइन और मोबाइल प्रौद्योगिकी समान सेवा प्रदान करते हैं । समतुल्य सिद्धांत और क्रियाविधि का प्रयोग करके समापन दर निर्धारित की जाए ।
- (v) वायरलाइन और वायरलैस नेटवर्क के लिए समापन प्रभार की गणना करने हेतु सीएपीएएक्स और ओपीएएक्स दोनों को हिसाब से लिया जाए ।
- (vi) ऐतिहासिक लागत के साथ टॉप डाउन लागत दृष्टिकोण अपनाया जाए ।
- (vii) एलआरआईसी मॉडल या उसके प्रकारों को पारदर्शी रूप से लागू करना काफी कठिन है ।
- (viii) किसी एमएनओ के लिए आईयूसी राजस्व सृजन वाला मॉडल नहीं होना चाहिए ।
- (ix) वे तत्व जो प्रत्यक्ष रूप से समापन प्रभार या ट्रांजिट को प्रभावित करते हैं, की सीमांत लागत पर विचार किया जाए ।
- (x) सभी संगत लागत को हिसाब में लेने के बाद श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुरूप एमटीसी के निर्धारण हेतु हाइब्रिड एफएल:एलआरआईसी मॉडल हो ।

- (xi) सभी पणधारकों के निवेश और रिटर्न की सहायता हेतु उचित स्तरों पर समापन प्रभार हेतु राजस्व बंटवारा मॉडल हो ।
- (xii) वर्तमान लागत क्रियाविधि को जारी रखा जाए ।
- (xiii) बिल एंड कीप तथा नेगेटिव एमटीसी इन दो विकल्पों पर विचार किया जाए ।
- (xiv) बिल एंड कीप या लागत आधारित प्रणाली हो ।
- (xv) एफएल-एफएलआरआईसी मॉडल के साथ-साथ विद्यमान एफएसी मॉडलों के अनुसार प्रभार निकाला जाए तथा इन्कमबेंट प्रचालकों और नए लाइसेंसी हेतु एफएसी के मामले में इन दोनों में से कम वाले को अपनाया जाए (लूप टेलीकॉम)
- (xvi) बिल एंड कीप प्रणाली को अपनाया जाए ।

### 5.3.2 आईयूसी के निर्धारण हेतु दृष्टिकोण पर चर्चा

विनियामकों के आम सिद्धांतों में आर्थिक कार्यकुशलता को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, वृद्धि करना और सेवाओं को वहनीय बनाना शामिल है । अर्थशास्त्री और विनियामक इस पर सहमत हैं कि स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर दृष्टिकोण अपनाया जाए और यह लागत पर आधारित हो ताकि सेवा प्रदाताओं को, अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रयुक्त उनके संसाधनों हेतु मुआवजा दिया जा सके । तथापि, मूल्य को लागत से अलग करना मुश्किल है। अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार का अर्थ वे प्रभार हैं जो एक प्रचालक पर दूसरे प्रचालक द्वारा किसी कॉल को शुरू या समाप्त करने हेतु उसके नेटवर्क का उपयोग करने हेतु उस पर थोपी गई लागत की क्षतिपूर्ति हेतु लगाए जाते हैं । अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार अदा करने वाला प्रचालक कॉल को 'प्राप्त' करना है और विवादित तथा अदत्त प्रभारों का जोखिम उठाता है।

5.3.3 कुछ विशेषज्ञ यह महसूस करते हैं कि अंतरसंयोजन के मूल्य निर्धारण के लागत आधारित स्तर का निर्धारण करने का सबसे अच्छा दृष्टिकोण यह है कि संगत सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करने की अग्रणी सोच लागत पर आधारित हो जैसे कि लंबी दूरी की वृद्धि लागत (एलआरआईसी) अथवा उसके विभिन्न प्रभार । इस प्रकार की मंशा वाले सेवा प्रदाताओं का यह तर्क है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विनियामक एलआरआईसी मॉडल को अपना रहे हैं चूंकि यह प्रचालनात्मक दक्षता और भावी बाजार विकास की योग्यता प्रदान करता है। इन दृष्टिकोणों को लागू करने की व्यावहारिक सीमाएं हैं। एलआरआईसी का पक्ष न लेने वालों का यह तर्क है कि कतिपय परिस्थितियों में एलआरआईसी पर अंतरसंयोजन मूल्य निर्धारण करना एक व्यावहारिक कारोबार को चलाने हेतु एक नई स्थानीय सेवा के प्रवेशक की अनुमति नहीं देता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब सुस्थापित इक्वेंट कॉल समापन से राजस्व द्वारा टैरिफ में कमी करता है। उनका यह तर्क है कि नए प्रवेशक की अंतरसंयोजन लागत उस खुदरा मूल्य से अधिक हो जाएगी जिसकी वह कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने और स्वयं को स्थापित करने हेतु पेशकश करेगा । उन्होंने एलआरआईसी का समर्थन करने वाले सेवा प्रदाताओं पर वे अवधारणाएं प्रयोग करने का आरोप लगाया जिससे कॉल समापन संबंधी लागत बढ़ जाती हैं ।

5.3.4 एलआरआईसी तथा गैर-एलआरआईसी जैसे दृष्टिकोण अपनाने वाले कई देशों के उदाहरण सामने हैं । ये देश इन दृष्टिकोणों के प्रकारों और रूपांतरणों का उपयोग व्यावहारिक वास्तविकताओं तथा अपेक्षित नीतियों को लागू करने को प्रदर्शित करने हेतु करते हैं । सही दृष्टिकोण का चुनाव प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करता है और संबंधित विनियामकों को इनका सावधानीपूर्वक आकलन करने की जरूरत होती है । प्रायः संशोधन प्रत्येक प्रचालक को उसके अंतरसंयोजन परिणामी लागत की क्षतिपूर्ति का प्रयास करने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों हेतु किया जाता है । यह अधिकतर देश सापेक्ष होता है जिसमें स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है ।

5.3.5 परामर्श प्रक्रिया के दौरान की गई टिप्पणियों का यह अर्थ है कि पणधारक प्रयुक्त की जाने वाली क्रियाविधि संबंधी अपने प्रस्ताव पर एकजुट नहीं है। सभी टिप्पणियों पर ध्यान देने के बाद आमतौर पर निम्न तीन तरीकों का सुझाव दिया गया :-

- (i) अग्रिम सोच वाली लंबी दूरी की वृद्धि लागत (एफएलएलआरआईसी)
- (ii) बिल एंड कीप (बीएके)
- (iii) पूर्णतया आवंटित लागत (एफएसी)

5.3.6 अग्रिम सोच वाली एलआरआईसी (एफएलएलआरआईसी) एक बॉटम-अप दृष्टिकोण है जिसमें नेटवर्क और सेवा उत्पादन प्रौद्योगिकियों के इष्टतम मॉडल का उपयोग करके सेवा लागत की गणना की जाती है । इस विधि में यह माना जाता है कि ऐसी मॉडलिंग में शामिल टीम को अपने साथ के नेटवर्क आयोजना विशेषज्ञों के होने का लाभ मिलता है। दोषपूर्ण आयोजना प्रक्रिया और धारणाओं से दक्षतापूर्ण नेटवर्क का गलत डिजाइन बनेगा और फलस्वरूप गलत लागत निर्धारण और लागत आवंटन होगा। अग्रिम सोच का अर्थ है – ग्राहक की मांग के वर्तमान और भावी पूर्वानुमान पर विचार करके नेटवर्क डिजाइन बनाना। लंबी दूरी की संकल्पना का यह अर्थ है कि समय सीमा काफी अधिक है ताकि सभी लागतों को परिवर्तनशील माना जाए चाहे पूंजी निवेश लागत नेटवर्क क्षमता से संबंधित क्यों न हो। तथापि, लंबी समय सीमा पूर्वानुमानों को कम विश्वसनीय बनाती है। गलत पूर्वानुमानों वाला नेटवर्क गलत परिणाम देगा। सभी एलआरआईसी का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि आउटपुट का उपयोग लागतनुमुखी प्रभारों को दिखाने में किया जा सके। बड़ी-वृद्धि यथा – ‘एक्सेस’ लागत को दर्शाने हेतु आवश्यक जानकारी नहीं देता है जबकि काफी छोटी और विस्तृत स्तर पर वृद्धि को परिभाषित करने की व्यावहारिक और क्रियाविधिपरक सीमाएं हैं इस विधि का लाभ राजसहायता मुक्त मूल्य है चूंकि प्रत्येक ग्राहक अपनी सेवा हेतु भुगतान करता है और यदि पूर्वानुमान और नेटवर्क डिजाइन सही प्रकार से बनाए जाएं तो व्यक्तिगत प्रचालकों की खामियों को छोड़ा जा सकता है। तथापि, ऐसे मॉडल विकसित करना मुश्किल है। इनमें ज्यादा समय लगता है और अधिक विनियामक लागत आती है। ये लेखांकन प्रक्रियाओं पर आधारित नहीं है और इसलिए इसकी लेखा-परीक्षा करना कठिन है ।

5.3.7 कुछ पणधारकों ने हाइब्रिड एफएलएलआरआईसी मॉडल का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है। ‘हाइब्रिड’ पहलू में टॉप-डाउन और बॉटम-अप, दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों की गणना शामिल है। फिर इसके परिणामों का मिलान होता है। उसमें

नेटवर्क डिजाइन और विभिन्न संकल्पनाओं पर आधारित होने का परिणाम गलत हो सकता है, इसकी संभावना का भी ध्यान रखा जाता है। इन पणधारकों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे केवल बॉटम-अप विश्लेषण के थे और अनुरोध करने पर भी टॉप-डाउन परिणाम उपलब्ध नहीं कराए गए। काल्पनिक दक्ष प्रचालक और नए प्रवेशक के लिए मॉडलिंग की गई। इसका परिणाम बिल्कुल भिन्न था। नए प्रचालकों के लिए 'स्करोथनोड' एप्रोच का उपयोग करना उपयुक्त नहीं होगा। परिकलन में सीएपीईएक्स और ओपीईएक्स, दोनों को शामिल किया जाएगा जिससे एक प्रचालक की समस्त लागत अंतरसंयोजन वाले प्रचालक को अंतरित हो जाएगी, से नए सेवा प्रदाता को अधिक इनपुट लागत से नुकसान होगा और वह नई टैरिफ प्लान की पेशकश नहीं कर सकेगा। यह बात इससे स्पष्ट होती है कि यह विधि कई संकल्पनाओं पर आधारित है जिन पर सेवा प्रदाता प्रतिस्पर्धा करेंगे जैसाकि इस मामले में हुआ है। हाइब्रिड एफएलएलआरआईसी मॉडल में एक काल्पनिक नए प्रवेशक की उन सारी लागत को लिया जाता है जिससे समापन प्रभारों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इन गणनाओं में अतिरिक्त परियात के समापन हेतु वर्तमान सेवा प्रदाता द्वारा खर्च की गई वृद्धि लागत को नहीं दर्शाया जाता है जिसे वास्तव में एलआरआईसी मॉडल हेतु किया जाना था। अवसंरचना, कॉल मिक्स, बाजार हिस्सा आदि की भागीदारी के बारे में इस प्रकार से कल्पना की गई है कि इससे समापन प्रभार अधिक हो जाता है।

5.3.8 यह भी नोट किया गया है कि एलआरआईसी मॉडल या इसके किसी प्रकार को पारदर्शी रूप से लागू करना काफी कठिन है चूंकि इसके लिए एक माइक्रो डाटा/सूचना चाहिए जो विभिन्न सेवा प्रदाताओं से प्राप्त करना व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है। सेवा प्रदाताओं संबंधी यह सूचना भी भिन्न-भिन्न होगी और इसके परिणाम भी काफी भिन्न आएंगे। ये मॉडल काल्पनिक अवधारणाओं पर आधारित हैं और प्राधिकरण द्वारा अपनाए जाने से पहले जिस पर सभी पणधारकों में सहमति होना आवश्यक है। अनुमान में थोड़ी-सी भिन्नता से भी एक विशेष प्रकार के सेवा प्रदाता के बारे में काफी भिन्नता आ जाएगी। इस स्वनिष्ठता और पारदर्शिता की कमी से सारी प्रक्रिया को विवादित बनाने तथा उसे क्षति पहुंचाने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार यह सब्सक्राइबर्स को अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों के समायोजन का लाभ उठाने से वंचित कर देगा। संघों तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न मॉडलों से यह स्वनिष्ठता काफी स्पष्ट है और इससे कुछ अवधारणा, नेटवर्क वास्तुकला और पूर्वानुमान में परिवर्तन करने से ही समापन प्रभारों में काफी अधिक भिन्न प्रकट होती है।

5.3.9 पणधारकों के एक अन्य समूह ने भी इस धारणा के साथ इसी मॉडलिंग तकनीक के आधार पर गणना की जो उन पर अधिक लागू हो और परिणाम में पहले के मामले से भारी कमी आई। इन पणधारकों ने एफएलएलआरआईसी के पक्षकारों द्वारा की गई महत्वपूर्ण संकल्पनाओं पर बहस की। नई सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों ने यह दर्शाया कि उनके लिए उपयुक्त अवधारणाओं से कम समापन प्रभार प्राप्त हुए। एक परामर्शदाता ने विभिन्न अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए हाइब्रिड एलआरआईसी मॉडल के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी जो पहले समूह द्वारा प्रस्तुत मॉडल की तुलना में कम समापन प्रभार वाली थी। कुछ देशों द्वारा अपनाई गई एलआरआईसी मॉडल का मूल विचार अप्रभावी लागत और अंतरसंयोजन प्रचालक को अंतरित की जा रही अप्रासंगिक लागत को बचाना

है । इस लक्ष्य में यह देखना है कि उपभोक्ता को दूरसंचार उद्योग में हुई वृद्धि का लाभ मिले और उसे किसी भी प्रचालक द्वारा खर्च की गई किसी ऐतिहासिक लागत या अप्रभावी लागत की अदायगी न करनी पड़े । किसी प्रचालक की समस्त लागत को अपने अंतरसंयोजन सेवा प्रदाता को अंतरित करने से अप्रभावी प्रबंध की स्थिति पैदा होगी क्योंकि अंतरसंयोजन सेवा प्रदाता नई टैरिफ प्लान की पेशकश नहीं कर पाएंगे चूंकि समापन प्रभार के रूप में उनकी इनपुट लागत अधिक होगी । इससे वर्तमान प्रचालक की तुलना में नए प्रवेशक हेतु अधिक लागत को हिसाब में लिया जाएगा जिसके लिए नए प्रवेशक और वर्तमान सेवा प्रदाताओं के बीच असममित समापन प्रभार का निर्धारण करना अपेक्षित होगा जिसका प्रधिकरण समर्थन नहीं करता है जैसाकि संगत पैरा में बताया गया है। अतः एक ऐसे मॉडल का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है जो जटिल, स्वनिष्ठ हो और मोबाइल समापन प्रभार की गणना हेतु अधिक लाभप्रद प्रतीत न हो। दूसरी ओर, टॉप-डाउन मॉडल जिसमें वार्षिक प्रतिवेदन, सेवा प्रदाताओं की पृथक्करण रिपोर्ट आदि से सामान्य तौर पर समायोजन के आधार पर डाटा लिया गया हो, कम स्वनिष्ठ होगा, जांच योग्य होगा और इससे समापन प्रभार को अनुमान लगाने में अधिक अंतर नहीं आएगा ।

5.3.10 इन दावों और प्रतिदावों से यह स्पष्ट है कि इस क्रियाविधि के बारे में एकमत होना मुश्किल है । हरेक परिस्थिति के लिए बेहतर या ठीक समाधान नहीं होता है ।

5.3.11 बिल एंड कीप विधि का भी सुझाव दिया गया था । इस विधि में सेवा प्रदाताओं को एक-दूसरे को समापन प्रभार अदा नहीं करना होता है । इसका लाभ यह है कि सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क की लागत को अंतरसंयोजन सेवा प्रदाताओं को अंतरित नहीं करता है और यह कम विनियामक लागत वाला भी है । यदि परियात असंतुलित है या नेटवर्क तैनाती के विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदाता है तो यह विधि काम नहीं करेगी । इससे सेवा प्रदाताओं की उचित क्षतिपूर्ति नहीं होती है और प्रभावी नेटवर्क के विकास में प्रोत्साहन नहीं मिलता है ।

5.3.12 बिल एंड कीप विधि के समर्थक यह दावा करते हैं कि इस प्रणाली के अधीन जीरो एमटीसी सर्वाधिक उपभोक्ता तथा प्रतिस्पर्धा हितैषी हैं। उनके अनुसार जीरो एमटीसी प्रणाली डाटा की अस्पष्टता से उत्पन्न सभी विवादों को दूर करेगी, स्वनिष्ठा के जोखिम को कम करेगी तथा भावी आईयूसी प्रणाली साबित होगी। इन सेवा प्रदाताओं ने यह भी कहा कि समापन प्रभार की अदायगी से सेवा प्रदाताओं के पास धनराशि अनावश्यक रूप से ब्लॉक हो जाती है जिसका उपयोग नेटवर्क के विस्तार में किया जा सकता है। इनका यह भी तर्क था कि यह उच्च एमटीसी ऑफ नेट और ऑन नेट टैरिफ के बीच के भारी अंतर होने और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा करने हेतु उत्तरदायी है।

5.3.13 सेवा प्रदाताओं के बिल एंड कीप प्रस्ताव का विश्लेषण किया गया और यह नोट किया गया कि इसका अर्थ वर्तमान आईयूसी प्रणाली शुरू होने से पहले विद्यमान स्थिति में पहुंचना है अर्थात् इनकमिंग कॉल प्राप्त करने वाली पार्टी को इसके लिए भुगतान करना होगा। विहित आईयूसी प्रणाली के मूल सिद्धांतों में से एक सिद्धांत काम करने का

सिद्धांत है। यह भी नोट किया गया कि आईयूसी प्रणाली से पहले टैरिफ काफी अधिक था। सेवा प्रदाता कॉलें प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के सब्सक्राइबर्स को प्रभारित करना अथवा सेवाएं प्रदान करने के लिए नियत प्रभारों में वृद्धि करना पुनःशुरू कर देंगे। चूंकि सेवा प्रदाताओं को अन्य सेवा प्रदाता के नेटवर्क में कॉलों के समापन के लिए भुगतान करना होगा, वे फ्री कॉलों वाले प्लानों की पेशकश करेंगे जो दूसरे सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क को बोझिल बना सकती हैं। बिल एंड कीप प्रणाली भी कॉल समाप्ति दर को कम करेगी क्योंकि समापन नेटवर्क को कॉल को पूरा करने का कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। जैसाकि सेवा प्रदाताओं द्वारा एसएमएस आदि के मामले में प्रदान किए गए टैरिफ से स्पष्ट है, यह आवश्यक नहीं है कि बिल एंड कीप स्कीम टैरिफों को कम करेगी।

5.3.14 सेवा प्रदाताओं द्वारा बताया गया तीसरा सुझाव पूर्णतया आवंटित लागत (एफएसी) का प्रयोग करना था जो उस लागत को विभाजित करता है, जो फर्म इसके द्वारा बेची गई सेवाओं को उपगत करती है। इस पद्धति में सरलता का लाभ है। यह सेवा प्रदाताओं द्वारा उनके तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खातों तथा लेखांकन पृथकीकरण रिपोर्टों में प्रस्तुत किए गए लेखांकन आंकड़ों का प्रयोग करता है। इन परिणामों की आसानी से लेखापरीक्षा की जा सकती है। यदि मॉडलिंग को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता है, तो प्रचालकों की अपर्याप्तता का समावेश हो सकता है। विश्लेषण में अग्रदर्शी अवयव लाने के लिए ऐतिहासिक अथवा लागू लागतों पर प्रक्षेपणों का प्रयोग करना संभव है।

5.3.15 विनियामकों को अनेक कारणों से अंतरसंयोजन विनियम के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाने के बारे में औचित्यपूर्ण बनने की आवश्यकता है। किसी विस्तृत अग्रदर्शी लागत प्रणाली की प्रत्यक्ष विनियामक लागतें उल्लेखनीय हो सकती हैं: सेवा प्रदाता अपने दृष्टिकोणों को रखने के लिए इंजीनियर, अर्थशास्त्री तथा अधिवक्ताओं को रख सकते हैं; विनियामक को लागत के बारे में प्रतिस्पर्धी दावों का आकलन करने के लिए पर्याप्त संसाधन रखना चाहिए। चूंकि प्रणालियों में जटिलता बढ़ती है, प्रचालकों तथा संभावित प्रवेशकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को वास्तविक नई सेवाओं की पेशकश करने के स्थान पर माध्यस्थम अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना अधिक है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विस्तृत लागत अनुमान दृष्टिकोण सटीक होंगे। ऐसी कोई पद्धति नहीं है जो सभी स्थितियों में प्रधानता का दावा कर सके। अतः यह आवश्यक है कि विनियामक को देश में विद्यमान स्थिति पर आधारित लागत कार्य-पद्धति तथा दृष्टिकोण का निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई ऐसा दृष्टिकोण सुस्थापित हो और वह अच्छा कार्य करे तो अगली समीक्षा में इसे बदलने हेतु और अधिक प्रेरणा मिलेगी। यदि संदर्श मानकों और अनुमानित दक्षता पैरामीटरों पर आधारित कार्यविधि में कोई बड़ा फेरबदल किया जाता है तो सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस भी नेटवर्क की स्थिरता को तर्कसंगत ठहराएंगे।

5.3.16 भारत में ट्राई ने ऐसी आईयूसी प्रणाली निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण समझा जो अंतर प्रचालक निपटानों को निश्चिंतता प्रदान कर सके और अंतरसंयोजन करारों को सुकर बना सके। प्रासंगिक अधिसूचनाओं में ट्राई ने ऐसे नीतिगत ढांचे पर बल दिया है जो

निम्न घरेलू मूल्यों को प्रोत्साहित करे तथा एक मजबूत सब्सक्राइबर वृद्धि को बढ़ावा दे। इन दोनों उद्देश्यों के संबंध में प्राधिकरण के अपेक्षाएं पश्चातवर्ती अवधि में वैध हुई हैं। भारत वर्तमान में, विश्व में सबसे सस्ते मोबाइल कॉल प्रभारों वाले देशों में से है। इसी प्रकार, भारत में मोबाइल सब्सक्राइबर आधार की मासिक वृद्धि उच्चतम है, तथा मूल्यों में गिरावट ने ऐसी वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

5.3.17 ट्राई द्वारा जनवरी 2003 के आईयूसी विनियम तथा वर्तमान में प्रचलित अक्टूबर 2003 के विनियमों में प्रयुक्त कार्य-पद्धति का वर्णन इन विनियमों में विस्तार से किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु यहां दिए गए हैं।

5.3.18 जनवरी 2003 में प्रथम विनियम को तैयार करने के दौरान, प्रॉक्सी मॉडल पर आधारित बॉटम-अप पद्धति का प्रयोग करते हुए आकलन का प्रयास किया गया था। इसके पश्चात, बीएसएनएल की लागतें उपलब्ध हुईं परंतु जब इनकी तुलना बीएसएनएल द्वारा उपगत व्यय से की गई, तो इन्हें उच्च पाया गया और इन्हें विचार – विमर्श के बाद भी संकलित नहीं किया गया। तुलन – पत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट ने आंकड़ों का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया तथा टॉप-डाउन दृष्टिकोण को अपनाने का निर्णय लिया गया। लेखापरीक्षित बीएसएनएल आंकड़ों से लिए गए कैपेक्स, ओपेक्स, मूल्यह्रास का प्रयोग विभिन्न प्रभारों का अवधारण करने के लिए किया गया। समग्र कैपेक्स तथा ओपेक्स को नेटवर्क के विभिन्न भागों में अनुपात में आवंटित किया गया जैसाकि बीएसएनएल द्वारा संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव अनुसूचियों में लागत डाटा के लिए किया गया था। विभिन्न नेटवर्क अवयवों से संबंधित प्रयोग के मिनटों पर डाटा को लिया गया था, जैसाकि बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बुनियादी सेवाओं के किराए के घटक को एडीसीसी टैंडम तथा लाइसेंस शुल्क के औसत राजस्व भाग और स्पेक्ट्रम प्रभार तक नेटवर्क खंड के लिए कैपेक्स के आधार पर आकलित किया गया था। स्थानीय कॉल प्रभारों का आकलन औसत एमओयू के आधार पर वितरित समान खंड के ओपेक्स आधार पर किया गया था। **ट्रांजिट** के लिए आईयूसी किसी कॉल के कैरिज के लिए प्रयुक्त खंड के कैपेक्स और ओपेक्स के योग पर आधारित था। **समापन प्रभार** अग्रदर्शी थे चूंकि वे एक वर्ष के लिए अनुमानित वृद्धि दर पर आधारित थे। मोबाइल समापन प्रभारों के लिए, लागतें 25 सर्किलों/मेट्रो सेल्युलर प्रचालकों के ओपेक्स डाटा पर आधारित थी, जिन्हें लेखापरीक्षित वार्षिक खाते से लिया गया था। अपात्र घटकों जैसे बट्टे खाते, पेजिंग डिवीजन का बंद होना, नियत परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटा/लाभ को बाहर कर दिया गया था। राजस्वों पर आधारित लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रभार को अलग से जोड़ा गया था। प्रति लाइन ओपेक्स का आकलन अनुमानित एमओयू प्रति सब्सक्राइबर प्रतिमाह के आधार पर किया गया था। विपणन और विज्ञापन लागतों का केवल 50 प्रतिशत ही कॉल मिनटों के लिए लिया गया था जबकि शेष को राजस्व के अन्य स्रोतों जैसे वीएएस, किराए और लंबी दूरी की कॉलों से हिस्से के लिए आवंटित कर दिया गया था।

5.3.19 अक्टूबर 2003 के विनियम में समान टॉप-डाउन मॉडल का प्रयोग किया गया था। कैपेक्स और ओपेक्स एसडीसीसी तक बीएसएनएल – अवयवों की लागतों पर आधारित थे। एमओयू को रूटिंग कारकों के आधार पर आकलित किया गया था।

फिक्सड समापन प्रभारों (एफटीसी) के लिए बीएसएनएल के लेखापरीक्षित लेखाओं से ऐतिहासिक औसत लागतों को तथा मोबाइल समापन प्रभारों (एमटीसी) के लिए सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं से डाटा को लिया गया था। डाटा समुचित सामान्यीकरण और समायोजनों के साथ सेवा प्रदाताओं के वार्षिक प्रतिवेदनों, तुलन-पत्रों, पी एंड एल लेखों, आदि से लिया गया था ताकि उन्हें कम विषयपरक और प्रमाणीय बनाया जा सके। एक स्थानीय कॉल की लागत स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रचालनात्मक लागतों पर आधारित थी। इसे एमओयू द्वारा विभाजित किया गया था, जो प्रत्येक नेटवर्क अवयव के लिए प्रासंगिक था। प्रचालनात्मक लागतों से, कॉल कैरिज से संबंधित न होने वाले लागत घटकों को हटा दिया गया था। विपणन व्ययों को अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उन्हें राजस्व के अन्य स्रोतों से वसूला जा सकता था। इन राजस्वों से ओपेक्स के भाग की वसूली के लिए वीएसएस राजस्वों को लेखा से पूर्णतया घटा दिया गया था। तथापि, यह कहा गया था:

*“.....जैसाकि पूर्व के मामले में है, मूल्यवर्धित राजस्वों को प्रासंगिक लागत आधार से घटाया गया है, क्योंकि ये लागतों की वसूली के लिए महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हैं। यह अनुमानित लागतों की तुलना में, जिन्हें इन राजस्वों से वसूल किया गया है, मूल्यवर्धित सेवाओं से अधिक अर्जित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए एक प्रोत्साहन भी है। समय के साथ, उपस्कर के गिरते हुए मूल्यों, तथा इसकी उच्च क्षमता के कारण, लागतों में कमी के साथ, तथा इसके अलावा, सब्सक्राइबरों की तेजी से होने वाली वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राधिकरण को भविष्य में सभी कॉल समापन के लिए प्रासंगिक लागतों के लिए मूल्यवर्धित सेवाओं के केवल एक ही भाग का आवंटन करने पर विचार करना होगा।”*

## कैपेक्स का निपटान

5.3.20 कुछ सेवा प्रदाताओं ने तर्क दिया है कि केवल समापन प्रभार के लिए प्रासंगिक ओपेक्स का आवंटन करना तथा कैपेक्स को ध्यान में न रखना समापन प्रभार के आकलन का सही तरीका नहीं है। उन्हें यह भी तर्क दिया है कि पूंजी – गहन उद्योग के लिए समापन प्रभार के आकलन में कैपेक्स को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। यहां तक कि कुछ ने इसे राजमार्गों से भी जोड़ा है, जहां पथकर में कैपेक्स को ध्यान में रखा जाता है। इससे केवल यही प्रदर्शित होता है कि जो बिंदु यहां छूट रहा है, वह यह है कि दूरसंचार अवसंरचना नेटवर्क बाह्यता के कारण अन्य सभी अवसंरचनाओं से भिन्न है। जब नेटवर्क की वृद्धि होती है, नेटवर्क एक दूसरे से अंतरसंयोजित होते हैं तथा सभी सब्सक्राइबरों के लिए परिकल्पित मूल्य बढ़ जाता है। इसके साथ हमें एक अन्य तथ्य भी याद रखना होगा कि समापन प्रभार राजस्व का ऐसा एकमात्र स्रोत नहीं है जिससे समस्त कैपेक्स और ओपेक्स की वसूली किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे अन्य स्रोत भी विद्यमान हैं, जैसे फिक्सड प्रभार, प्रारंभन प्रभार, मूल्यवर्धित सेवाओं से राजस्व आदि।

5.3.21 प्राधिकरण ने इस मामले का दो प्रकार से विश्लेषण किया (क) क्या सेवा प्रदाता समापन के लिए केवल प्रासंगिक ओपेक्स को ही ध्यान में रखते हुए सेवाओं को प्रदान करने की उनकी समस्त लागतों को वसूल करने में समर्थ हैं (ख) समापन प्रभार के आकलन में कैपेक्स को लेने का प्रभाव वर्तमान प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करेगा।

5.3.22 प्रमुख सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा लाभ एवं हानि का विश्लेषण उनकी लेखा पृथकीकरण रिपोर्टों में उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है तथा यह पाया गया है कि कुछ मामलों में, कुछ सेवा प्रदाताओं के संबंध में युक्तिसंगत लाभ (15 प्रतिशत डब्ल्यू एसीसी) के ऊपर अधिशेष राजस्व 16 पैसे प्रति मिनट है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सेवा प्रदाता उनके मोबाइल सेवा प्रचालनों में पर्याप्त राजस्व तथा कैश फ्लो सृजित करने में समर्थ हैं। जीएसएम मोबाइल उद्योग के पास 10 पैसे तथा समग्र रूप से वायरलैस उद्योग के लिए 5 पैसे का अधिशेष राजस्व है। यह अधिशेष दर्शाता है कि सेवा प्रदाता न केवल केपेक्स, ओपेक्स तथा उनके प्रचालनों से युक्तिसंगत लाभ वसूल करने में समर्थ है बल्कि वे उनके पास उससे कहीं अधिक अधिशेष मौजूद है। अतः वर्तमान कारकों के आधार पर समापन प्रभार का यौक्तिकीकरण उन्हें चिंता प्रदान करने वाला नहीं होगा।

5.3.23 समापन प्रभार के आकलन के लिए केपेक्स पर विचार करना अथवा इसके अनुपात को ध्यान में रखना आवश्यक रूप से सेवा प्रदाता द्वारा लिए गए व्यवसाय निर्गम के बोझ को अंतरसंयोजन सेवा प्रदाताओं तक अंतरित कर देगा। प्लानिंग होराइजन, नेटवर्क डाइमेंशनिंग, सेवा प्रदाता की प्रौद्योगिकी का अधिष्ठापन जैसे निर्णय ऐसे सेवा प्रदाता के अंतरसंयोजन को प्रभावित नहीं करने चाहिए जिसे कि अत्यंत न्यूनतम लागत का भुगतान करने की अपेक्षा है। समापन प्रभार के आकलन में केपेक्स को लेने का अर्थ होगा कि अंतरसंयोजन सेवा प्रदाता के पास अभिनव टैरिफ प्लान अथवा किरायों का कोई विकल्प नहीं होगा। सेवा प्रदाता अपने केपेक्स की वसूली किराए तथा प्रारंभन प्रभार से करने के लिए स्वतंत्र हैं, जोकि प्रविरत है। यह तर्क कि अब 90 प्रतिशत से अधिक सब्सक्राइबर प्री-पेड खंड में है, अतः केपेक्स की वसूली के लिए कोई किराया राजस्व नहीं है, अत्यंत कमजोर है। टैरिफ प्रविरत है तथा यह सेवा प्रदाता पर ही निर्भर है कि वह अपने द्वारा शुरू किए गए प्लानों की व्यवहार्यता को देखे। इन प्लानों को आरंभ करते समय सेवा प्रदाता आईयूसी प्रणाली से पूरी तरह अवगत थे तथा वे इस तथ्य को भी जानते थे कि केवल प्रासंगिक ओपेक्स की वसूली समापन प्रभार से की जाती है। वास्तव में, जब एक सेवा प्रदाता ने आजीवन प्लान प्रारंभ किया तो उसने प्राधिकरण को उसके व्यवसाय के लिए टैरिफ प्लानों की व्यवहार्यता और स्थायित्व का सबूत प्रस्तुत किया। यहां पर ऐसे सेवा प्रदाता का मामला भी है जो सभी आवक कॉलों के लिए 0.10 रु. प्रदान कर रहा था जोकि यह दर्शाता है कि प्रचालक लागत को वसूल करने में समर्थ था।

5.3.24 पूर्ण आवंटित क्रियाविधि में सेवा प्रदाताओं की सभी लागतों की एक घटक या अन्य के माध्यम से वसूली की जाए। यदि समापन प्रभार के माध्यम से केपेक्स की भी वसूली करने की अनुमति दी जाए तो फिर सेवा प्रदाताओं के बीच समापन प्रभार में भारी अंतर आएगा चूंकि कुछ सेवा प्रदाताओं ने अपने भावी पूर्वानुमानों और अपनी कारोबारी योजना के मद्देनजर पूंजी व्यय में अधिक निवेश किया होगा। यह लागत अंतरसंयोजन प्रचालक को अंतरित कर दी जाएगी।

5.3.25 संगत नेटवर्क तत्वों और लागत के संबंध में, प्राधिकरण को यह याद है कि पूर्ववर्ती आईयूसी संबंधी कार्यवाहियों में स्थानीय काल की लागत को स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रचालनात्मक लागत (ओपेक्स) के आधार पर निर्धारित किया गया था। प्राधिकरण ने आज के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय कॉल हेतु संगत ओपेक्स आवंटित करने के सिद्धांत का विश्लेषण किया। प्राधिकरण ने यह पाया कि अब सेवा प्रदाता इस प्रकार से नई टैरिफ प्लान की पेशकश कर रहे हैं कि किराए और कॉल प्रभार से सृजित राजस्व का अनुमान लगाना काफी कठिन है। चूंकि अब सेवा प्रदाता इस प्रकार से टैरिफ प्लान की पेशकश कर रहे हैं कि कुछ टैरिफ प्लान अधिक किराए किंतु कम कॉल प्रभार वाली है और कुछ कम किराए और अधिक कॉल प्रभार वाली है। ऐसा किराए और प्रारंभन प्रभार में प्रविरत नीति के कारण हुआ है। चूंकि इन दो अलग अलग तरीकों से सृजित राजस्व में भेद करना मुश्किल है अब यह और प्रासंगिक हो गया है कि उसी सिद्धांत को अपनाया जाए जो पूर्ववर्ती आईयूसी विनियमों में अपनाया गया है।

5.3.26 प्राधिकरण ने कॉल के समापन हेतु अप्रत्यक्ष संबंध वाले प्रचालन लागत तत्वों की भी जांच की। ये लागत मूलतः सब्सक्राइबर द्वारा सेवा प्रदाता के साथ उसके अधिग्रहण, सतता तथा शेष पर खर्च की जाती है। इन लागतों में विज्ञापन, बिक्री, बट्टे-खाते ग्राहक अर्जन, बिलिंग और ग्राहक सहायता परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि वित्तीय प्रभार आदि की लागत शामिल है। जैसाकि पूर्व में किया गया है, प्राधिकरण ने समापन प्रभार की गणना हेतु इन लागतों पर विचार नहीं किया है। गणना में शामिल किए गए और न किए गए लागत शीर्षों का पूरा ब्योरा संगत पैराओं में दिया गया है।

5.3.27 अब हम प्रचलित प्रधान विनियम के व्याख्यात्मक ज्ञापन पर प्राधिकरण की राय की अभिव्यक्ति पर आते हैं। प्राधिकरण ने नोट किया था ... “यद्यपि प्राधिकरण यह महसूस करता है कि एफएलएलआरआईसी मॉडल को अपनाना अनिवार्य है, उसने धीरे धीरे अपनाने की तुलना में अचानक इसे अपनाने के निहितार्थों की जांच की.....। नजरिया कुछ वर्षों में धीरे धीरे एफएलएलआरआईसी को पूर्ण रूप से अपनाना है।” प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस स्थिति में एफएलएलआरआईसी को अपनाना उपयुक्त क्यों नहीं है। वर्तमान समीक्षा के दौरान प्राधिकरण ने सुझाई और ऊपर वर्णित विधि के पक्ष और विपक्ष की दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। एफएलएलआरआईसी माडल की विस्तार से जांच की गई। न केवल सेवा प्रदाताओं के समर्थकों और विरोधियों अपितु परामर्शदाताओं को भी अवसर दिया गया जिन्होंने कुछ सेवा प्रदाताओं की ओर से इसका अध्ययन किया था। चूंकि प्राधिकरण ने भविष्य की स्थितिनुसार किसी भी क्रियाविधि को अपनाने पर खुले दिमाग से विचार किया उसका यह सुविचारित मत है कि उपर्युक्त पैराओं में दिए गए कारणों से, वर्तमान समीक्षा में समापन प्रभार का निर्धारण करते समय समापन प्रभारों के लिए संगत ओपेक्स आवंटित करने की वर्तमान क्रियाविधि को जारी रखा जाए और सेवा प्रदाता का खर्च की लागत को कवर करने के लिए किराया और प्रारंभन प्रभार को प्रविरत रखा जाए।

## 5.4 मुद्दा-3 पूर्णतया लागत आधारित अथवा लागतोन्मुखी समापन प्रभार

5.4.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का सार नीचे दिया गया है और निम्न पैराओं में उन पर विचार किया गया है –

- (i) लागत आधारित मूल्य निर्धारण क्रियाविधि अंतरसंयोजन सेवाएं देने वाली निहित लागत को सटीकता से दर्शाती है।
- (ii) लागत आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए चूंकि यह काफी पारदर्शी और अधिक सख्त नहीं है।
- (iii) दृष्टिकोण लागत आधारित हो।
- (iv) लागत आधारित मूल्य निर्धारण क्रियाविधि को काफी किफायती बताया जाता है।
- (v) भारतीय प्रचालकों को लागत आधारित समापन प्रभार वाले ग्रामीण बाजार में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है।
- (vi) दृष्टिकोण लागतोन्मुखी हो।
- (vii) दृष्टिकोण लागतोन्मुखी हो और उसे प्राधिकरण द्वारा 2003 द्वारा अपनाए गए मॉडल के साथ समायोजित किया जाए।
- (viii) समापन प्रभार लागत आधारित हो।
- (ix) समापन प्रभार लागत आधारित हो चूंकि सेवा प्रदाता को केवल कॉल के समापन में अंतर्ग्रस्त नेटवर्क की लागत की वसूली करनी है।

5.4.2 अधिकांश सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ता संघ ने लागत आधारित मूल्य – निर्धारण क्रियाविधि के पक्ष में दलील दी। इन सेवा प्रदाताओं ने यह तर्क दिया कि यह विधि अंतरसंयोजन सेवाएं देने में निहित लागत को सटीकता से दर्शाती है और काफी पारदर्शी है। तथापि, एक दो सेवा प्रदाताओं ने लागतोन्मुखी दृष्टिकोण के पक्ष में भी तर्क दिया। प्राधिकरण का यह मत है कि वर्तमान स्थिति में विचाराधीन प्रभारों के आधार पर उपयुक्त क्रियाविधि लागू की जाए।

## 5.5 मुद्दा – 4 मूल्यवर्धित सेवाओं से प्रोद्भूत राजस्व का निपटान

5.5.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का सार नीचे दिया गया है और निम्न पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है : –

- (i) मूल्यवर्धित सेवाओं से प्राप्त राजस्व को हिसाब में न लिया जाए।
- (ii) लागत आवंटन मॉडल में खुदरा मूल्य को लागत में से घटाना गलत है।
- (iii) वायरलेस और वायरलाइन नेटवर्क हेतु वॉयस समापन प्रभार निर्धारित करते समय मूल्यवर्धित सेवाओं से प्राप्त राजस्व को वार्षिक लागत वसूली में से घटाया जाए जिसमें वार्षिक केपेक्स वसूली, मूल्यहास, और ओपेक्स शामिल है।

- (iv) सेवा प्रदाता वीएएस के लिए लागत डाटा उपलब्ध कराएं ।
- (v) समापन प्रभार के निर्धारण हेतु मूल्यवर्धित सेवाओं से प्राप्त राजस्व को हिसाब में न लिया जाए ।
- (vi) समापन प्रभार निकालते समय वीएएस राजस्व को हिसाब में अवश्य लिया जाए ।
- (vii) वीएएस समापन हेतु बिल एंड कीप काफी सकारात्मक दृष्टिकोण है ।
- (viii) चूंकि टैरिफ प्रविरत अधीन है इसलिए नेटवर्क उपयोग के आधार पर नहीं अपितु राजस्व के आधार पर लागत का संवितरण करना अधिक उपयुक्त होगा ।
- (ix) वीएएस से प्राप्त होने वाले राजस्व को एमटीसी हेतु अनुमानित राजस्व अपेक्षा से पूर्णतया बाहर रखा जाए ।
- (x) लागत आधारित समापन प्रभारों के निर्धारण के समय वीएएस, जो किसी प्रचालक के कुल राजस्व का लगभग 10–12 प्रतिशत होता है, पर विचार किया जाना चाहिए ।
- (xi) वीएएस से प्राप्त होने वाले राजस्व को एमटीसी हेतु अनुमानित राजस्व अपेक्षा से पूर्णतया बाहर रखा जाए ।

5.5.2 इस मुद्दे पर पणधारकों की राय भिन्न-भिन्न थी । कुछ सेवा प्रदाताओं ने यह तर्क दिया कि मूल्यवर्धित सेवाओं से प्राप्त राजस्व को हिसाब में न लिया जाए चूंकि लागत आवंटन मॉडल में खुदरा मूल्य को लागत में से घटाना गलत है। तथापि, कई अन्य सेवा प्रदाताओं ने वार्षिक लागत वसूली में से मूल्यवर्धित सेवाओं से प्राप्त राजस्व को घटाने का पक्ष लिया। एक सेवा प्रदाता ने यह दलील दी कि चूंकि टैरिफ प्रविरताधीन है इसलिए नेटवर्क उपयोग आधार की बजाय राजस्व आधार पर लागत संवितरण करना अधिक उपयुक्त होगा। इस मुद्दे पर प्राधिकरण ने मूल विनिमय में दी गई स्थिति को पुनःयाद दिलाया है। संगत पैरा को नीचे पुनः उद्धृत किया गया है:—

*“79. ....पिछले मामले की तरह, संबंधित लागत आधार से मूल्यवर्धित राजस्व घटा दिए गए हैं क्योंकि लागतों की वसूली की दृष्टि से यह राजस्व स्रोत महत्वपूर्ण होता है। इससे सेवा प्रदाताओं को यह प्रोत्साहन भी मिलेगा कि वे इन राजस्वों से वसूली गई प्राक्कलित लागतों के मुकाबले मूल्यवर्धित सेवाओं से ज्यादा पैसा कमाए । समय के साथ-साथ उपस्करों की कीमतें गिरने से उच्चतर क्षमता बने रहने से उपभोक्ताओं के तेजी से बढ़ने से लागतों में कमी होती जाएगी और तब भविष्य में काल समापन से जुड़ी लागतों के लिए मूल्यवर्धित राजस्वों के निश्चित अंश को ही आवंटन करने के बारे में प्राधिकरण सोच सकता है। ”*

5.5.3 प्राधिकरण इस बात से अवगत है कि वर्ष 2003 में वीएएस राजस्व की तुलना में मूल्यवर्धित सेवाओं से प्राप्त वर्तमान कुल राजस्व काफी अधिक है। चूंकि यह राजस्व, लागत वसूली का महत्वपूर्ण स्रोत है, 2003 में उद्योगों के साथ चर्चा करने के बाद इस राजस्व को संगत ओपेक्स में से सीधे घटा दिया गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में सारे

राजस्व को घटाना तर्कसंगत नहीं होगा क्योंकि यह लागत की तुलना में काफी अधिक है। यदि इन सेवाओं के लिए ओपेक्स की जानकारी होती तो उसका उपयोग गणना में किया जा सकता था। प्राधिकरण यह भी महसूस करता है कि मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए टैरिफ अतार्किक रूप से अधिक है और यदि मूल्यवर्धित सेवाओं को समापन प्रभार की गणना हेतु संगत आपेक्स में से घटा दिया जाता है तो सेवा प्रदाता मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए टैरिफ में कटौती करने में हिचकिचाएंगे। दूसरी ओर, वीएएस हेतु कोई समायोजन न करने से वॉयस कॉल हेतु समापन प्रभार से मूल्यवर्धित सेवाओं से संबद्ध समस्त लागत की वसूली करनी होगी जिससे वॉयस कॉल हेतु समापन प्रभार अधिक हो जाएगा। वीएएस से संबंधित लागत को कुल लागत से अलग करना कठिन होगा। मूल्य वर्धित सेवाओं को प्रदान करने की लागत के अभाव में मूल्य वर्धित सेवाओं से अर्जित राजस्व के अनुसार लागत संविभाजित करना अत्यधिक तर्कसंगत होगा चूंकि वीएएस से प्राप्त राजस्व कुल लागत का 10 प्रतिशत है अतः संगत ओपेक्स से कुल राजस्व कम करने के बजाए 10 प्रतिशत ओपेक्स कम करने का निर्णय लिया गया है। यह वर्तमान सेवा प्रदाताओं को एक स्पष्ट लाभ है।

## 5.6 मुद्दा – 5: असममित घरेलू समापन प्रभार

5.6.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को निम्नवत् संक्षेप में दिया गया है और तत्पश्चात् आगे के पैराओं में विस्तार से बताया गया है :-

- (i) एकमात्र असममित जिसे कदाचित उचित ठहराया जा सकता है वह है जो ग्रामीण विस्तार को प्रोत्साहित करता है। तथापि, किसी असममित को भारतीय आईयूसी प्रणाली में शुरू करने की व्यावहारिक कठिनाइयां अत्यधिक हैं।
- (ii) भारत में असममित दरें पहले से ही प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में कतिपय प्रचालकों को सीधी एवं अन्यायोचित प्रति राजसहायता होगी,
- (iii) नए प्रवेशक के लाभ के लिए असममित प्रभार न्यायोचित है क्योंकि वे समग्र रूप से दूरसंचार उद्योग के विकास में सहायक होंगे,
- (iv) नए निवेश को आकृष्ट करने के लिए नए प्रवेशक के पक्ष में असममित लागू किया जा सकता है।
- (v) असममित को उन प्रचालकों के पक्ष में भी शुरू किया जा सकता है जो ऐसे उच्च लागत क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्कों का विकास करते हैं।
- (vi) एक जैसे नेटवर्क/सेवाओं के लिए वर्तमान सेवा प्रदाताओं और नए प्रवेशक के बीच समापन प्रभारों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।
- (vii) यद्यपि वास्तविक लागत के आधार पर शहरी नेटवर्कों की तुलना में ग्रामीण नेटवर्कों के उच्च समापन प्रभार न्यायोचित है, इसे तकनीकी रूप से क्रियान्वित करना व्यवहार्य नहीं है।

- (viii) वर्तमान एवं नए सेवा प्रदाताओं समेत वर्तमान बाजार में भविष्य के विकास और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए असममित प्रभार न केवल न्यायोचित है अपितु बहुत जरूरी है।
- (ix) असममित प्रभार बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है।
- (x) वर्तमान भारतीय परिदृश्य में असममित मूल्य मॉडल उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि बाजार में प्रचालकों द्वारा आफर किए जा रहे टैरिफों को बिगाड़ सकते है।
- (xi) वैश्विक प्रथा एक समान समापन प्रभार की रही है।
- (xii) समापन से निपटान और झगड़े खड़े होने तथा बिलिंग अत्यधिक जटिल हो जाने की संभावना होगी।
- (xiii) वर्तमान सेवा प्रदाताओं बनाम नए प्रवेशक असममित समापन प्रभार का आधार होना चाहिए।
- (xiv) वर्तमान और नए सेवा प्रदाताओं के बीच ट्राई द्वारा क्रियान्वित लागत आधारित एमटीसी असममित समापन प्रभार न्यायोचित है।
- (xv) बड़े और छोटे नेटवर्कों के बीच असममित आधार पर ही विश्व में कई विनियामकों ने असममित समापन प्रभार लागू किए हैं।

5.6.2 अधिकांश नए प्रवेशकों ने अपने पक्ष में असममित प्रभारों के लिए तर्क दिया है क्योंकि इससे नए निवेश को आकृष्ट करने में मदद मिलेगी और समग्र रूप से दूरसंचार उद्योग के विकास में भी सहायता मिलेगी। अन्य सेवा प्रदाता भी हैं जिन्होंने तर्क दिया है कि यदि कोई सममिति न्यायोचित है तो वह यह है जो कि ग्रामीण रोलआउट को प्रोत्साहित करती हो। तथापि, उन्होंने ग्रामीण संबंध में असममित को शुरू किए जाने की व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में भी चेतावनी दी है। टैरिफ पर ग्रामीण नेटवर्क में समाप्त होने वाली ट्रैफिक के लिए उच्च समापन के प्रभाव के बारे में यह एक स्पष्ट संकेत है। मोबाइल और फिक्सड लाइन के बीच असममित समापन प्रभार के पक्ष में किसी भी सेवा प्रदाता ने तर्क नहीं दिया है। एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अपनी टिप्पणी में तर्क दिया है कि यद्यपि लागत के आधार पर फिक्सड लाइन के लिए उच्च समापन प्रभार न्यायोचित है, लेकिन सेल्यूलर से सेल्युलर कालों की तुलना में सेल्युलर से फिक्सड लाइन कॉलें इससे महंगी हो जाएगी और इसलिए भारतीय उपभोक्ताओं के हित में समापन प्रभार को, सभी प्रकार की घरेलू कालों के लिए एक ही स्तर पर रखा जा सकता है सिवाय वायरलेस से वायरलेस कालों को जिसके लिए उनका कहना है कि कोई समापन प्रभार नहीं होना चाहिए। बीएसएनएल ने भी तर्क दिया है कि वायर लाइन नेटवर्क को यूएओ फंड अंशदान समेत लाइसेंस शुल्क के भुगतान के उनके राजस्व से पूर्ण छूट प्रदान कर लागत की वसूली के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है।

5.6.3 प्राधिकरण ने इस मामले की विस्तार से जांच की और नोट किया कि अंशतः प्रस्थापित सेवाओं, जैसे फिक्सड और मोबाइल कालों के लिए असमान समापन प्रभार से ट्रैफिक में इस कमी से उस नेटवर्क में ट्रेवल कर रहे मिनटों में और कमी हो जाएगी। प्रयोग में लाए गए मिनटों में इस कमी से उस नेटवर्क के लिए लागत आधारित प्रभार में और बढ़ोतरी हो जाएगी। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि 2003 में आईयूसी

प्रणाली के लागू होने से कई लाइसेंसियों ने नए सेवा प्रदाताओं के रूप में अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं जोकि विद्यमान आईयूसी परिवेश से भलीभांति परिचित है और वे सभी अपना अस्तित्व कायम रखने और वर्तमान आईयूसी के साथ विकास करने में समर्थ रहे हैं जो कि नए प्रवेशक के प्रति कोई असममिति नहीं रखती। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि अधिकांश वर्तमान सेवा प्रदाता अपने निवेश पर अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर रहे हैं वस्तुतः, सममित प्रभार ने सभी प्रकार के सेवाओं के लिए सभी आपरेटरों को एक समान अवसर प्रदान किया है।

5.6.4 नई कंपनियों को लाइसेंस जारी करना और लाइसेंसी द्वारा सेवा शुरू करना एक सतत् प्रक्रिया है। अतः आज किसी सेवा प्रदाता के लिए किसी प्रकार की असममित खड़ी करने से सेवा प्रदाताओं को समापन प्रभार में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है जो कि भविष्य में नए होंगे। प्राधिकरण ने विगत में पदस्थ समेत किसी सेवा प्रदाता के लिए असममित विनियम की प्रथा को नहीं अपनाया है।

5.6.5 प्राधिकरण ने यह देखा है कि शहरी क्षेत्रों में टेली घनत्व संतोषजनक स्तर तक पहुंच गया है परंतु ग्रामीण टेली घनत्व अभी भी गंभीर चुनौती बना हुआ है तथा एक नीति और विनियामक परिवेश प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ताकि सेवा प्रदाताओं को प्रत्यक्ष रूप से कम लुभावने बाजारों की ओर आकर्षित होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आज भी, लाखों कान डायलटोन सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः, सभी को आपस में जोड़ना एक मुख्य चिंता है। अतः प्राधिकरण ऐसे सेवा प्रदाताओं को कुछ प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अत्यंत उत्सुक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं अथवा नेटवर्क कार्यान्वित कर रहे हैं, तथापि, जैसाकि अधिकांश सेवा प्रदाताओं ने नोट किया है, ग्रामीण सबस्क्राइबरों के लिए समापन प्रभार के संबंध में कोई सममिति प्रारंभ करना अत्यंत कठिन होगा। ग्रामीण अवसंरचना विकास, ग्रामीण समापन प्रभारों से प्रोद्भूत पर आधारित नहीं हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में समापन प्रभार का प्रोद्भूत उन निवेशों का एक छोटा भाग होगा जो सेवा प्रदाताओं द्वारा किए जाने की संभावना है। यहां यह भी नोट किया जाए कि शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलों के समापन प्रभारों में कोई असममितता सृजित करने से वह टैरिफों पर प्रतिबिंबित होगी तथा यह ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलों के समापन को शहरी क्षेत्रों में समाप्त होने वाली कॉलों से महंगा बना देगी। वैसे भी, ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का सही कदम एमयूएसओ द्वारा किया जाना ही होगा, जैसाकि अधिकांश नीति एंक्म्बेंट द्वारा उस समय तर्क दिया गया था जब उन्हें एडीसी की समाप्ति के लिए पूछा गया था। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि लाइसेंसर ने पहले ने ग्रामीण फिक्स्ड लाइनों के लिए एजीआर पर लाइसेंस शुल्क हटा दिया है और सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस शुल्क में 2 प्रतिशत की कमी की है जो 95 प्रतिशत रोल आउट को पूरा कर लेते हैं। यह ग्रामीण रोल आउट को बढ़ावा देने और वित्त पोषित करने का एक सकारात्मक तरीका है।

5.6.6 एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की इस टिप्पणी के संबंध में कि वायरलेस से वायरलेस कालों के लिए शून्य सेवा प्रभार की आवश्यकता है, प्राधिकरण ने याद दिलाया कि आईयूसी के मूल सिद्धांत में यह उल्लेख है कि एक बहु प्रचालक परिवेश में किसी काल के कैरिज के लिए कुल अंतर कनेक्शन प्रयोग प्रभार प्रत्येक वर्ग में कॉल के कैरिज

के लिए किए गए कार्य के आधार पर उत्पन्न करने, प्रेषण और समापन के लिए इस्तेमाल में लाया जाना है। चूंकि किसी काल के समापन के लिए समापन नेटवर्क में किया गया काम किसी काल को प्रारंभ करने के लिए प्रारंभन नेटवर्क से अलग है, अतः नेटवर्क एक विशेष प्रकार से काल के उत्पन्न होने के लिए शून्य समापन शुल्क का होना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं होगा। फिक्स्ड लाइन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु आर्थिक रूप से अधिक सक्षम तरीके अपनाने होंगे। ट्राई की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा हाल ही में लिया गया एक निर्णय प्रासंगिक है जिसके अनुसार यूएसओ 1.4.2002 से पूर्व स्थापित फिक्स्ड लाइनों के रख रखाव का वित्त पोषण अधिकतम 2000 करोड़ रु. तक किसी सेवा प्रदाता द्वारा करवाएगा।

5.6.7 सभी बातचीत के जरिए प्राप्त सभी सूचनाओं के आधार पर, प्राधिकरण की राय है कि घरेलू समापन प्रभार के संबंध में किसी तरह की असममिति शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

## 5.7 मुद्दा – 6 टैरिफ पर मोबाइल और फिक्स्ड समापन प्रभार का प्रभाव

5.7.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को निम्नवत् संक्षेप में दिया गया है और तत्पश्चात् आगे के पैराओं में विस्तार से उल्लेख किया गया है :-

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा और प्रतिस्पर्द्धा को लाने के लिए गंभीर प्रचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए समापन दरों को वर्तमान स्तर पर बनाए रखना।
- (ii) बाजार में टैरिफ मुख्यतः प्रतिस्पर्द्धा के स्तर से प्रेरित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर लागत आधारित आईयूसी प्रणाली बाजार में प्रतिस्पर्द्धा को सुकर बना सकती है।
- (iii) भारत में फुटकर टैरिफ को विरत करना अच्छा रहा है जिसमें प्रचालकों को बाजार दशाओं पर आधारित उनके टैरिफों को समायोजित करने की अनुमति होती है।
- (iv) समापन में कोई कमी विशेषकर एमटीसी में कमी से मोबाइल एवं फिक्स्ड लाइन दोनों के अंतिम प्रयोक्ताओं को बेहतर टैरिफ देने में काफी मदद मिलेगी।
- (v) एमटीसी और एफटीसी में कमी से फुटकर टैरिफ में अवश्यमेव कमी होगी।

5.7.2 इस मुद्दे पर मिश्रित प्रतिक्रिया थी इस पर चर्चा वर्णनात्मक थी। टैरिफ प्रविरत अधीन है और इन विनियमों के जरिए प्राधिकरण का इरादा उसे बदलने का नहीं है। इस पर कोई निश्चय नहीं किया गया। अतः इस ज्ञापन पर इसमें कोई और चर्चा नहीं की जा रही है।

## 5.8 मुद्दा : 7 असममित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समापन प्रभार

5.8.1 इस मुद्दे पर पणधारकों द्वारा प्राप्त टिप्पणियां संक्षेप में निम्नवत है और तत्पश्चात् आगे के पैरों में विस्तार से उल्लेख किया गया है :-

- (i) ट्राई द्वारा अंतरराष्ट्रीय समापन प्रभार को नियमित करने का मामला नहीं बनता ।
- (ii) ट्राई को प्रचालकों द्वारा भारत के बाहर भुगतान की गई दरों को नियमित करने का अधिकार नहीं लेना चाहिए और इन दरों के अंतर्गत लाना चाहिए ।
- (iii) इनकमिंग एवं आउटगोइंग कालों के लिए समापन प्रभारों में समानता और अन्योन्यता बनाए रखने के लिए ट्राई प्रविरत रह सकता है और आई एल डी प्रचालकों के साथ इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय कालों के लिए समापन प्रभार पर बातचीत करने के लिए प्रदाताओं को अनुमति दे सकता है ।
- (iv) इनकमिंग आईएलडी पर समापन प्रभार बढ़ाने से सेवा प्रदाताओं या उपभोक्ताओं पर कोई भार बढ़ाए बिना सेवा के विस्तार के लिए सभी सेवा प्रदाताओं को और फंड उपलब्ध हो सकेंगे ।
- (v) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय के बीच असममित प्रभार से ग्रे मार्केट/गैर कानूनी टेलिफोनी आपरेटरों के लिए एक कृत्रिम अवसर प्राप्त हो जाता है ।
- (vi) इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय कालों पर समापन प्रभार में बढ़ोतरी से सभी पक्षों को फायदा होगा ।
- (vii) यदि असममित दरों को लागू किया जाता है तो स्थिति और खराब हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट टेलीफोनी की तरफ पहले ही रुझान बढ़ गया है ।
- (viii) उच्च समापन प्रभार एक प्रतिगामी कदम होगा क्योंकि हम एक खुला बाजार टेलीकॉम व्यवस्था से एकाधिकारी प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की ओर बढ़ेंगे ।
- (ix) समापन प्रभार की पारस्परिक व्यवस्था भी एक प्रतिगामी कदम ही होगा और इसकी व्यावहारिक सीमाएं हैं ।
- (x) किसी सममिति को लागू करना होगा यदि लागत ढांचा अलग है ।
- (xi) सभी समापन प्रभार लागत आधारित होने चाहिए न कि अन्योन्याय आधारित ।
- (xii) असममित समापनप्रभार से ग्रे मार्केट पैदा होगा और जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल होगा ।
- (xiii) इनकमिंग आईएलडी कालों के लिए असममित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समापन प्रभार पूर्णतः न्यायोचित है ।

(xiv) इनकमिंग आईएलडी कालों के लिए आईएलडी समापन प्रभार विनियम से निर्धारित किए जाने चाहिए और इसे आईएलडीओ और समापन प्रचालक के मोल भाव पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

5.8.2 कुछ सेवा प्रदाताओं ने अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कालों के लिए उच्च समापन प्रभार का प्रस्ताव किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों दूरसंचार उपक्रमों ने भी इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय कालों के लिए उच्च समापन प्रभार की वकालत की है जो कि उसके बराबर हो जो कि एक्सेस प्रदाता दूसरे देशों में अपनी आउटगोइंग अंतरराष्ट्रीय कालों के लिए भुगतान कर रहे हैं। संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने यह भी तर्क दिया है कि इनकमिंग और आउटगोइंग कालों के समापन प्रभारों में समानता और अन्योन्यता बनाए रखने के लिए, ट्राई अपने को अलग रख सकता है और एक्सेस प्रदाताओं को आईएलडी प्रचालकों के साथ अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कालों के लिए बातचीत करने की अनुमति दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग के लिए उच्च समापन प्रभार को सही ठहराने के लिए जो कारण दिए हैं उनमें शामिल है कम समापन प्रभार से केवल विदेशी प्रचालकों और विदेशी उपभोक्ताओं को ही फायदा होता है देश में निधियों के अधिक प्रवाह से भारतीय सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क के विस्तार में मदद मिलेगी और कम दरों पर अंतरराष्ट्रीय आउटगोइंग कालें ऑफर होंगी, निधियों के अधिक प्रवाह से सरकार की आय भी अधिक बढेगी। नए प्रवेशकों ने आग्रह किया है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समापन के बीच असममित प्रभार से एक कृत्रिम अवसर पैदा होगा और इसे ग्रे मार्केट असतित्व में आएगा। वे कहते हैं कि इसके कारण ही अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कालों पर लागू एडीसी में कमी और अंत में इसे हटा दिया गया था।

5.8.3 प्राधिकरण ने इन सभी विकल्पों पर विचार किया।

- (क) अन्य देशों के साथ पारस्परिक व्यवस्था
- (ख) एक्सेस प्रदाता व आईएलडीओ के बीच प्रविरत या वार्ता समझौता
- (ग) वर्तमान दर से अंतरराष्ट्रीय समापन में वृद्धि
- (घ) 0.30 रूपये प्रति मिनट के वर्तमान स्तर को बनाए रखना, और
- (ङ) घरेलू समापन प्रभार जैसा स्तर।

5.8.4 पारस्परिक व्यवस्था अर्थात् उसी समापन दर से किसी देश से काल का अधिदेश जो कि वह देश भारत से कालों पर लागू करता है, से निपटान में जटिलता आएगी। भारत में समापन होने वाली कालों के लिए नई समापन दरें प्रवृत्त होगी और इससे निपटान विवादों में बढोत्तरी होगी। इस व्यवस्था से उस देश में अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक में वृद्धि होगी जिसका भारत के साथ कम समापन दर समझौता लागू है। इससे कुछ रूटों पर न केवल बैंडविड्थ पर निर्भरता बढेगी अपितु अन्य रूटों पर बैंडविड्थ का अदक्ष उपयोग बढेगा अपितु आपरेटर इस बात के लिए भी प्रोत्साहित होंगे की वे सीएलआई को बदलें ताकि वह यह दिखा सकें कि ये कालें उस देश से है जो भारत के साथ कम समापन प्रभारों का लाभ उठा रहा है। ये वे परिणाम हैं जिनकी अपेक्षा कोई विनियामक प्राधिकरण इन दरों को नियमित करते वक्त नहीं करेगा।

5.8.5 प्रविरत या प्रभारों को आईएलडीओ और एक्सेस प्रदाताओं के बीच मोल भाव पर छोड़ने के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। यह एक्सेस प्रदाता को लागू दरों से उच्च दरों पर माल भाव करने और अधिक राजस्व कमाने में सहायक होगा। इससे आउटगोइंग अंतरराष्ट्रीय कालों के लिए टैरिफ में कमी हो सकती है यदि सेवा प्रदाता बढी हुई आमदनी को उपभोक्ताओं के साथ बांटने के इच्छुक हों। लेकिन इस मामले में नुकसान फायदे से कहीं अधिक है। इस तरह की वार्ताएं लंबी खींच सकती हैं और इससे बाजार में अनिश्चितता और विवाद बढेंगे। समापन पर एकाधिकार होगा अतः कोई एक्सेस प्रदाता हमेशा ही आईएलडीओ से उच्च समापन प्रभार की कोशिश करेगा जिससे गैर निपटारे की स्थिति पैदा होगी और परिणामस्वरूप कालें अपूर्ण रहेगी।

5.8.6 अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग समापन प्रभार को वर्तमान स्तर से बढाने के तीसरे विकल्प के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदा यह है कि इससे एक्सेस प्रदाता को अधिक राजस्व कमाने में मदद मिलेगी और जैसे प्रविरत के मामले में वार्ता में रूकावट के नुकसान से मुक्ति मिलेगी। इससे आउटगोइंग अंतरराष्ट्रीय कालों के टैरिफ में भी कमी होगी यदि सेवा प्रदाता बढी हुई आमदनी को उपभोक्ताओं के साथ बांटने के इच्छुक हों, इस दृष्टिकोण के आलोचक कृत्रिम अवसर के नुकसान का उद्धरण दे सकते हैं जो बिल अलग अलग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समापन प्रभार से खड़ा होता है। यह भी नोट किया जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कालों पर एडीसी के कारण उत्पन्न विवाद और अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कालों तथा घरेलू कालों के बीच विवादों में अत्यधिक अंतर आ जाता है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि विवाचन का अवसर तब पैदा होता है जब गैर कानूनी रूट से काल की लागत वैध रूट से काल की लागत से कम होती है। समापन प्रभार कॉलों की पूरी लागत नहीं है। चूंकि ग्रे-मार्केट कार्यकलाप निःशुल्क नहीं होते हैं और आईएलडी कॉलों को स्थानीय कॉल के रूप में दर्शाते हैं, अतः विवाद प्रवृत्त घरेलू स्थानीय दरों से अधिक होगा तब वैध रूटों को बाइपास करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन रहेगा।

5.8.7 प्राधिकरण यह महसूस करता है कि अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग समापन प्रभार न केवल लागत आधारित होने चाहिए अपितु वस्तुतः सामान्य समापन प्रभार अंतरराष्ट्रीय रूप से भारतीय प्रचालकों और उपभोक्ताओं को किससे अधिक फायदा होता है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉलों के लिए समापन प्रभार 40 पैसे प्रति मिनट होना चाहिए।

## 5.9 मुद्दा 8 कैरिज प्रभार

5.9.1 इस मुद्दे पर पणधारकों द्वारा प्राप्त टिप्पणियां संक्षेप में निम्नवत् हैं और तत्पश्चात् आगे के पैराओं में विस्तार से इनका उल्लेख किया गया है :-

- (i) दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य किसी क्षेत्र में लम्बी दूरी की कालों पर समतुल्य कैरिज प्रभार

- (ii) उच्च ट्रैफिक रूटों पर कैरिज प्रभार की वर्तमान अधिकतर सीमा की समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है
- (iii) पर्वतीय, दूर दराज और निकट तराई क्षेत्रों के लिए वास्तविक लागत आधार पर कैरिज प्रभार में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता जहां महंगे उपग्रह मीडिया के जरिए कालें प्रेषित की जाती हैं ।
- (iv) कैरिज प्रभार को एक स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए ।
- (v) कैरिज प्रभार दरों में काफी कमी की जानी चाहिए
- (vi) वर्तमान आंकड़ों के आधार पर लंबी दूरी की कालों पर कैरिज प्रभार की अधिकतम सीमा बढ़ाई/घटाई जानी चाहिए
- (vii) एनएलडी कैरिज प्रभार पहले से ही प्रतिस्पर्धात्मक है अतः कैरिज प्रभार की वर्तमान अधिकतम सीमा में बदलाव की आवश्यकता नहीं है ।
- (viii) लंबी दूरी की कालों पर और कमी किए जाने का कोई औचित्य नहीं है ।
- (ix) उसी स्तर को बनाए रखा जाएगा ।
- (x) कैरिज प्रभार को 0.55 रुपये प्रति मिनट तक कम किया जाना चाहिए ।
- (xi) एनएलडी कैरिज बाजार प्रतिस्पर्धात्मक है तथा 0.65 रुपये प्रति मिनट की वर्तमान अधिकतम सीलिंग की समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।
- (xii) 0.65 रुपये प्रति मिनट की वर्तमान विहित सीलिंग को कम करना पूर्ण रूप से औचित्यपूर्ण है ।
- (xiii) दूरदराज के क्षेत्रों के लिए उच्च सीलिंग तथा शेष देश के लिए एक सीलिंग पर विचार किया जा सकता है ।

5.9.2 प्राधिकरण ने राष्ट्रीय लंबी दूरी की काल के लिए कैरिज प्रभार के मामले में सभी पणधारकों के दृष्टिकोण पर ध्यानपूर्वक विचार किया । बड़ी संख्या में सेवा प्रदाताओं ने यह सुझाव दिया कि 0.65 रुपये प्रति मिनट के कैरिज प्रभार को बनाए रखा जाए । कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि एनएलडी कैरिज बाजार बृहद रूप से प्रतिस्पर्धात्मक है तथा वर्तमान सीलिंग की समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है । एक्ससेस सेगमेंट में स्टैण्डालोन नए प्रतिस्पर्धियों ने कैरिज प्रभार तथा दूरदराज के क्षेत्रों के लिए विभेदक प्रभार को कम करने की मांग की है । बीएसएनएल, सरकारी कंपनी ने हाई ट्रैफिक रूट के लिए कैरिज प्रभार की वर्तमान सीलिंग की समीक्षा के विरुद्ध मत व्यक्त किया है परंतु पहाड़ी एवं दुर्गम व दूरदराज के क्षेत्रों के लिए वास्तविक लागत पर कैरिज प्रभार को बढ़ा कर अधिक करने की आवश्यकता व्यक्त की है ।

5.9.3 प्राधिकरण ने यह पाया है कि एनएलडीओ द्वारा दिए जा रहे कैरिज प्रभार उच्च ट्रैफिक रूट पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक हैं चूंकि इन रूटों पर पहुंच प्रदाताओं के पास एनएलडीओएस का विकल्प होता है । तथापि, यहां अनेक एसडीसीएस है जहां केवल एक सेवा प्रदाता मौजूद है जो ट्राई द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा पर कैरिज प्रभार की पेशकश कर रहा है । एनएलडी सेगमेंट से यह पता चलता है कि बीएसएनएल, सेवा प्रदाता जिसकी दूरदराज व पहाड़ी क्षेत्र में मौजूदगी है, वह इससे अच्छा लाभ अर्जित कर

रहा है । वे क्षेत्र जहां एक से अधिक एनएलडीओ मौजूद हैं वह पर्याप्त प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं तथा एनएलडीओएस द्वारा कम कैरिज प्रभार की पेशकश की जा रही है । कैरिज प्रभार सीलिंग को कम करने में जोखिम यह है कि जबकि इससे उच्च ट्रैफिक वाले प्रतिस्पर्धात्मक रूटों पर पेशकश किए जाने वाले प्रभारों में कमी नहीं होगी तथापि, यह दूरदराज के क्षेत्रों को अव्यावहारिक कर देंगे अन्य उच्च सेवा प्रदाताओं को इन क्षेत्रों में नेटवर्क स्थापित करने में लिए हतोत्साहित कर देंगे । कैरिज प्रभार की विनियमित सीलिंग में किसी भी प्रकार की कमी एनएलडी सेगमेंट में बीएसएनएल के लाभ को कम कर देगा । प्रभार पर वर्तमान सीलिंग सेवा प्रदाताओं को लचीलापन प्रदान करती है कि वे स्वयं अपने बीच कैरिज प्रभारों को आपसी सहमति कर तय कर सकें तथा एनएलडी सेगमेंट में बीएसएनएल जैसे सेवा प्रदाता का समग्र लाभ सुनिश्चित करती है ।

5.9.4 इसलिए संपूर्ण परिस्थितियों पर समग्रता से ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने कैरिज प्रभार पर वर्तमान सीलिंग को बनाए रखने का निर्णय लिया । प्राधिकरण कैरिज प्रभारों के रूझानों तथा पैटर्न का सूक्ष्मता से अनुवीक्षण करेगा तथा यदि एनएलडीओएस द्वारा उनके स्वयं के ट्रैफिक तथा अन्य एक्सेस प्रदाताओं के संबंध में उद्ग्रहित तथा संग्रहित कैरिज प्रभारों के मामले में बाजार में कोई विरूपता पाई जाती है तो प्राधिकरण कैरिज प्रभार की समीक्षा सहित उचित कदम उठाने में नहीं हिचकेगा ।

## 5.10 मुद्दा 9 : लेवल-।। टीएएक्स से एसडीसीए तक ट्रांजिट/कैरिज प्रभार

5.10.1 पणधारकों द्वारा इस मुद्दे पर प्राप्त टिप्पणियों को नीचे दिया गया है तथा उत्तरवर्ती पैराओं में उन पर कार्यवाही की गई है ।

- (i) मोबाईल नेटवर्क से आरंभ होने वाले तथा स्तर-।। पर बीएसएनएल फिक्स्ड लाईन पर समाप्त होने वाले इंटरा सर्किल ट्रैफिक को हस्तगत करना अनिवार्य है, इसलिए प्रभार अपरिहार्य है तथा मूल्य पूर्णतः से लागत आधारित होने चाहिए ।
- (ii) इस प्रकार के कैरिज की औसत लागत 0.24 रुपये प्रति मिनट है ।
- (iii) इस प्रभार में समान रूप से कोई कमी नहीं की गई है जैसाकि कैरिज प्रभार में की गई है ।
- (iv) केवल कॉल को ले जाने की सीमांत लागत को एलडीसीए तथा एसडीसीए के बीच ही सुलझाया जाना चाहिए ।
- (v) यह पूर्णतः लागत आधारित होना चाहिए अथवा मोबाईल सेवा प्रदाताओं को उनके ट्रैफिक को प्रत्यक्ष रूप से अथवा एसडीएलए स्तर पर एनएलडीओ के माध्यम से हस्तगत करने की अनुमति देनी चाहिए ।
- (vi) एलडीसीए से एसडीसीए तक कॉल ले जाने की लागत 4 पैसे से अधिक नहीं होती है ।
- (vii) वर्तमान टैरिफ का, केपेक्स तथा ओपेक्स में समनुपातिक प्रभारों को लागू कर समीक्षा की जानी चाहिए अथवा पुर्ननिर्धारण करना चाहिए जिससे वर्तमान लागत का पता चल सके ।

- (viii) 20 पैसा प्रति मिनट अथवा इस स्ट्रीम के लिए कम टैरिफ की अधिकतम सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा सभी एनएलडीओ को इस प्रकार के ट्रैफिक को हैंडल करने की अनुमति दी जाए ।
- (ix) एलडीसीए से एसडीसीए तक ट्रांजिट प्रभार को कम किया जाना चाहिए ।
- (x) इस कैरिज भाग पर समापन के भाग के रूप में विचार किया जाना चाहिए तथा काल को समाप्त करने के लिए कोई समापन प्रभार देय नहीं होना चाहिए ।
- (xi) एमटीसी के मामले में इन तत्वों की लागत का समापन प्रभार के साथ विलय किया जाना चाहिए ।
- (xii) ट्रांजिट प्रभार 3 पैसा प्रति मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए ।

5.10.2 इस विनियमन में मुद्दा इंटरा सर्किल मोबाइल से फिक्स्ड कॉल तक स्तर-।। टीएएक्स से एसडीसीए तक कॉल ले जाने के प्रभार का निर्धारण का है । अनेक सेवा प्रदाताओं ने इन कॉलों को लागू दरों की बजाय उनके अंतरण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है । विभिन्न प्रकार की कालों के अंतरण का मुद्दा लाइसेंसिंग तथा विनियामक अपेक्षाओं का मुद्दा है तथा चूंकि इस विनियमन में स्तर-।। टीएएक्स से एसडीएलए तक इंटरा सर्किल मोबाइल से फिक्स्ड कालों तक कालों को ले जाने के लिए लागू प्रभारों की समीक्षा के एक सीमित मुद्दे पर भी कार्यवाही की जानी है । प्राधिकरण ने केवल प्रभारों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार किया । बीएसएनएल ने संगत लागत आंकड़े तथा स्तर-।। टीएएक्स से एसडीसीए तक कॉल ले जाने का समय प्रस्तुत किया है। बीएसएनएल ने अपने परिकलन में मूल्य को 24 पैसा प्रति मिनट दर्शाया है। बीएसएनएल लगातार इस बात पर बल देता आ रहा है कि इस प्रकार के प्रभार केवल कैरिज प्रभार है तथा बीएसएनएल को इस प्रकार की कॉलों को लंबी दूरी की कॉलों के कैरिज के लिए विहित ढांचे के मुताबिक प्रभारित करने की अनुमति दी जाए । प्राधिकरण का यह मत है कि इस प्रकार के प्रभार कॉल की विशिष्ट श्रेणी के लिए होते हैं जिसका लाइसेंसिंग/विनियामक अपेक्षाओं के तहत स्तर-।। टीएएक्स पर अंतरण किया जाता है । यदि इस प्रकार की कॉलों को लंबी दूरी की अथवा दूरी आधारित कॉलों के कैरिज के लिए विहित ढांचे के अनुरूप माना जाता है तो दूरदराज के एसडीसीए के मोबाइल से आरंभ होने वाली तथा फिक्स्ड लाइन पर समाप्त होने वाली कॉलें महंगी हो जाएंगी इसलिए यह सबस्क्राइबर के हित को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा । औसत ट्रांजिट प्रभारों को विहित करते हुए प्राधिकरण को ज्ञात है कि कतिपय एसडीसीए स्तर-।। टीएएक्स के साथ विन्यस्त हो जाएंगे तथा कई अन्य एसडीसीए लेवल-।। के समीप स्थित होंगे । एक सेवा प्रदाता ने कहा है कि कॉल को मोबाइल प्रचालक के नेटवर्क से बीएसएनएल फिक्स्ड लाइन नेटवर्क तक ले जाने के लिए 4 पोर्ट का उपयोग किया जाता है । एक पोर्ट बीएसएनएल एल-।। टीएएक्स जोकि एसडीसीए में बीएसएनएल के स्थानीय स्विच की ओर होगी, एक पोर्ट बीएसएनएल स्थानीय स्विच तथा बीएसएनएल एल-।। टीएएक्स में तथा एक पोर्ट सबस्क्राइबर की ओर बीएसएनएल के लोकल स्विच पर होगी । सेवा प्रदाता द्वारा आगे ट्राई दरों के अनुसार औसत दूरी को 45 किलोमीटर तथा ई1एस लागत और ई1 प्रतिवर्ष एमओयू क्षमता को 3663360 मिनट लिया है ।

इन तीन धारणाओं के आधार पर औसत दर प्रति मिनट 4 पैसा प्रति मिनट निकलती है । पूर्व-परामर्श पत्र के दौरान एक और सेवा प्रदाता ने भी इसी सीमा में प्रभारों का प्रस्ताव दिया था ।

5.10.3 प्राधिकरण ने स्मरण कराया कि पोर्ट प्रभारों के परिकलन के दौरान, केवल पोर्ट के प्रावधान के लिए मात्र बढ़ते हुए कैपेक्स पर विचार किया गया था । जबकि स्तर-।। टीएएक्स से एसडीसीए तक कॉल ले जाने के लिए केवल स्विच क्षमताओं को बढ़ाए जाने की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि एसडीसीए तक इस ट्रैफिक ले जाने के लिए नेटवर्क के डाउनस्ट्रीम भाग में वृद्धि करने की आवश्यकता है । इसलिए, प्राधिकरण ने लागत और मिनट संबंधी आंकड़ों पर विचार किया जिन्हें अपेक्षित समायोजन के साथ बीएसएनएल द्वारा दिया गया था ।

### 5.11 मुद्दा 10 – टीएएक्स ट्रांजिट प्रभार

5.11.1 इस मुद्दे पर पणधारकों द्वारा प्राप्त टिप्पणियों को नीचे दिया गया है तथा उत्तरवर्ती पैराओं में इस पर कार्यवाही की गई है ।

- (i) बीएसएनएल द्वारा उन मामलों, जिनमें जहां कहीं भी बीएसएनएल सेलवन के एमएससी तथा निजी प्रचालकों को उसी बीएसएनएल स्विच के साथ जोड़ा गया है, ट्रांजिट प्रभार का मामला नहीं बनता है ।
- (ii) नेटवर्क लगाए जाने के प्रारंभिक कारणों में नए प्रवेशकों के लिए ट्रांजिट लागत बहुत अधिक हो सकती है ।
- (iii) ट्रांजिट प्रभार को आपसी बातचीत पर छोड़ दिया जाना चाहिए ।
- (iv) ट्रांजिट प्रभार को तुरंत प्रभाव से कम किया जाना चाहिए तथा यह किसी सेवा प्रदाता के लिए प्रोत्साहन के रूप में नहीं होना चाहिए ।
- (v) इस प्रभार की लागू लागत के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए ।
- (vi) इंटर एसडीसीए के लिए टीएएक्स ट्रांजिट प्रभारों की लागत उन्मुखी पद्धति के अनुसार समीक्षा की जानी चाहिए ।
- (vii) इंटर एसडीसीए ट्रांजिटिंग के लिए टीएएक्स ट्रांजिट प्रभारों का निर्धारण करने के लिए लागत आधारित पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए ।
- (viii) प्रभार लागत आधारित होने चाहिए ।
- (ix) इंटर एसडीसीए के लिए ट्रांजिट प्रभारों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा समीक्षा किए गए लागत आधारित प्रभार को विहित किया जाना चाहिए ।

5.11.2 ट्रांजिट प्रभार पर टिप्पणियां देने की बजाय अनेक सेवा प्रदाताओं ने इस संबंध में प्राधिकरण का ध्यान माननीय टीडीएसएटी के निर्णय की ओर आकृष्ट किया है । प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि माननीय टीडीएसएटी केवल ट्रांजिट प्रभारों को लागू करने के सिद्धांत का निर्धारण करता है । इसका ट्राई द्वारा 2003 में विहित प्रभारों से कुछ लेना देना नहीं है । प्राधिकरण ने भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए ट्रांजिट प्रभारों 2003 की अपील सं. 31 (बीएसएनएल बनाम ट्राई) पर माननीय टीडीएसएटी के 03.05.2005 के निर्णय तथा याचिका सं. 20/2004 (सीओएआई तथा अन्य बनाम

बीएसएनएल एवं अन्य) तथा ट्राई के 08.01.2005 के विनियम पर विचार किया है । सैलवन ने माननीय टीडीएसएटी के आदेश के अनुपालन में ट्रैफिक विनियम 2005 को रद्द कर दिया । माननीय टीडीएसए के प्रचालन भाग को नीचे दिया गया है :-

*“लेवल प्लेईंग फील्ड पर विचार करते हुए, हम बीएसएनएल को निर्देश देते हैं कि जहां कहीं भी बीएसएनएल सैलवन के एमएससीएस तथा निजी सीएमएसओ एक ही बीएसएनएल स्विच से जुड़े हैं बीएसएनएल को बीएसएनएल सैलवन सबस्क्राइबर तक पहुंच के लिए ट्रांजिट प्रभार के रूप में सेल्युलर आपरेटरों से 19 पैसा प्रभारित करना बंद करना चाहिए । हमारा यह मत है कि हमारा निर्देश निर्णय देने की तिथि से लागू होगा तथा हम ट्राई को इसे विनियामक प्रणाली के भाग के रूप में शामिल करने हेतु प्राधिकृत करते हैं ।”*

5.11.3 बीएसएनएल ने अपने निवेदन में यह कहा है कि इंटर एसडीसीए ट्रांजिटिंग में कोई टीएएक्स स्विच शामिल नहीं होता है इसलिए इंटर एसडीसीए ट्रांजिट प्रभार में टीएएक्स प्रभार से संबंधित प्रश्न संदिग्धार्थी है । टीएएक्स प्रभार के संबंध में बीएसएनएल ने बताया है कि जब दोनों नेटवर्क प्रचालकों के स्विच बीएसएनएल के एक ही स्विच से जुड़े हों तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कॉल प्रभार की समीक्षा करने तथा विनियमित करने की आवश्यकता नहीं है चूंकि कॉल को ट्रांजिटिंग करना एक अनिवार्य सेवा नहीं है तथा यह प्रचालकों के तकनीकी वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर उनकी आपसी व्यवस्था पर आधारित है ।

5.11.4 यह नोट किया गया है कि बीएसएनएल, इंटर एसडीसीए ट्रांजिटिंग के लिए ट्राई द्वारा विहित टीएएक्स ट्रांजिट प्रभार अर्थात् 20 पैसे से कम ही ले रहा है । चूंकि दोनों मामलों में चाहे यह इंटर एसडीसीए ट्रांजिटिंग हो या टीएएक्स के माध्यम से ट्रांजिटिंग हो, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कॉल को ले जाने के लिए उतना ही कार्य निष्पादन करना होता है । इसलिए, परामर्श-पत्र में दोनों प्रकार के ट्रांजिट प्रभारों की एक साथ चर्चा की गई थी । तथापि, विनियम के वर्तमान संशोधन में स्पष्टता लाने के लिए टीएएक्स ट्रांजिट प्रभारों में एक नए खंड को जोड़ दिया गया है ।

5.11.5 प्राधिकरण ने नोट किया कि माननीय टीडीएसएटी ट्रांजिट प्रभारों को लागू करने के सिद्धांत का निर्धारण करता है । इसका प्रभारों से कोई लेना देना नहीं है । इसलिए, प्राधिकरण का यह मत है कि प्रभार को लागू करने का सिद्धांत, माननीय टीडीएसएटी के आदेश तथा बीएसएनएल के दिनांक 08.06.2005 के सैलवन टर्मिनेटिंग ट्रेफिक रेग्यूलेशन 2005 हेतु ट्रांजिट प्रभार पर ट्राई विनियम के माध्यम से शासित होगा । तथापि, विशेष परिस्थितियों में जब सेवा प्रदाता विशिष्ट रूप से टीएएक्स ट्रांजिटिंग के लिए अनुरोध करता है तो इस विनियम के वर्तमान संशोधन में विनिर्दिष्ट प्रभार लागू होंगे । प्रभार को विहित करना अपेक्षित है तथा इसे पूर्ण रूप से आपसी सहमति पर नहीं छोड़ा जा सकता है चूंकि नए प्रवेशक बाजार में आ रहे हैं तथा ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें एक विशिष्ट सेवा क्षेत्र में उनकी सेवाओं को आरंभ करते ही तुरंत सभी नेटवर्कों से कनेक्टिविटी प्राप्त करना संभव न हो । इस विनियम में किसी भी प्रकार से प्रभारों को विनिर्दिष्ट करने से माननीय टीडीएसएटी के दिनांक 03.05.2005 के ट्रांजिट प्रभारों के सिद्धांत की प्रयोज्यता के संबंध में दिनांक 03.05.2005 का आदेश तथा भारत संचार

निगम लिमिटेड के सैलवन समापक ट्रैफिक विनियम 2005 (2005 का 10) दिनांक 08.06.2005 हेतु ट्रांजिट प्रभार के संबंध में ट्राई के विनियम की प्रयोज्यता को किसी भी प्रकार से प्रभारित नहीं करेगा ।

## 5.12 मुद्दा 11 – प्रौद्योगिकियों 3जी सेवाओं तथा आईयूसी में उन्नति

5.12.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को नीचे दिया गया है तथा उत्तरवर्ती पैराओं में कार्यवाही की गई है :-

- (i) 3जी या अन्य प्रौद्योगिकियों में कोई विभिन्नता नहीं होनी चाहिए ।
- (ii) भावी विकास तथा अन्य प्रौद्योगिकियों का आगमन एक प्रौद्योगिकीय नीति होगी जिसके लिए विशिष्ट समापक दरों का परिकलन संभव नहीं होगा ।
- (iii) जब वर्तमान में प्राप्त स्पष्टता की तुलना में स्पष्टता के उच्च स्तर पर 3जी हेतु बाजारी स्थितियां बनाई जाएं तब इस विषय पर विचार किया जाए ।
- (iv) नई प्रौद्योगिकियों के विकास पर उस स्तर पर विचार किया जाना चाहिए जब प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण आवश्यक हो जाए ।
- (v) यह महसूस किया गया कि अब उठाया गया कोई भी कदम इस प्रयास को निष्फल कर देगा तथा इसे बाद में इस पर पुनरावलोकन करने की आवश्यकता होगी ।
- (vi) यह महसूस किया गया कि 3जी अनुप्रयोग समापन प्रभार को इन सेवाओं को आरंभ करने के इच्छुक प्रचालकों के बीच तय करने की अनुमति दी जाए ।
- (vii) 3जी मोबाइल सेवाओं के समापन प्रभार को निर्धारित किए जाने के मुद्दे पर बाद में विचार किया जाना चाहिए जब 3जी स्प्रेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के संबंध में अधिक स्पष्टता हो जाए ।
- (viii) नई प्रौद्योगिकियों में अंतरसंबद्ध परिदृश्य पर बाद में विचार किया जाना चाहिए ।
- (ix) ध्वनि समापन के लिए आईयूसी केवल ध्वनि के लिए रहना चाहिए । आंकड़ों को उपयोग के आधार पर नहीं बनाया जाना चाहिए । इस प्रकार उसे आईयूसी के विचार क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए ।
- (x) 2जी व 3जी दोनों के लिए समान समापन प्रभार
- (xi) एक पृथक परामर्श के माध्यम से बाद में 3जी समापन प्रभार पर विचार किया जाना चाहिए ।
- (xii) भविष्य में समापन पर कोई भी विचार प्रौद्योगिकी आधारित होना चाहिए ।
- (xiii) नई प्रौद्योगिकियों की जटिलताओं से निपटने के लिए 'बिल एंड कीप' अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक पसंदीदा पद्धति बनती जा रही है ।
- (xiv) बिल एंड कीप पद्धति प्रतिस्पर्धात्मक एवं प्रौद्योगिकी रूप से अवशून्य है तथा सभी प्रकार के नेटवर्कों के लिए एक समान प्रतिपूर्ति प्रदान करती है ।

- (xv) इस समय एनजीएन के लिए आईयूसी प्रभारों पर टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी ।
- (xvi) 3जी के लिए पृथक समापन प्रभार विहित करना भी जल्दबाजी होगी ।
- (xvii) नए विकास के प्रभाव पर तब विचार किया जाना चाहिए जब इस प्रकार के नेटवर्क भारत में स्थापित किए जाएं ।
- (xviii) एनजीएन के लिए आईयूसी प्रभारों के संबंध में इस समय टिप्पण करना जल्दबाजी होगा। सभी पणधारकों के बीच चर्चा किए जाने की आवश्यकता होगी।

5.12.2 मौजूदा आईयूसी विनियम 2जी नेटवर्कों पर केवल ध्वनि कॉल समापक पर लागू होता है । 3जी ध्वनि समापक प्रभारों को विनियमित करने के प्रश्न के संबंध में सेवा प्रदाताओं का सामान्य मत या तो यह रहा है कि यह 2जी ध्वनि समापन प्रभार की भांति होना चाहिए अथवा जब बाद में जब सेवा प्रारंभ की जाए तथा बाजार की परिस्थितियों के बारे में अधिक स्पष्टता हो जाए तब इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए । यह भी सत्य है कि एमटीएनएल तथा बीएसएनएल ने अपने 3जी नेटवर्क आरंभ कर दिए हैं । यह विनियम जारी किए जाने के बाद यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अन्य 2जी तथा 3जी नेटवर्कों से आने वाली कॉलों के लिए बीएसएनएल तथा एमटीएनएल तथा अन्य सेवा प्रदाता क्या समापक प्रभार वसूलते हैं । 3जी समापक प्रभारों को विनियमित करने के विकल्प साधारण रूप से 2जी के साथ सममित तथा 2जी समापक प्रभारों के साथ असममित है अथवा इसे प्रविरत रखा जाए ।

5.12.3 जैसाकि परामर्श-पत्र में इंगित किया गया था ध्वनि समापन बाजार पर टर्मिनेटिंग नेटवर्क का एकाधिकार है । यह 2जी तथा 3जी दोनों नेटवर्क के लिए सत्य है । मूल सबस्क्राइबर तथा सेवा प्रदाता दोनों ही इस बात का चयन करने में सक्षम नहीं होंगे कि क्या एक कॉल 2जी या 3जी नेटवर्क पर समाप्त होगी । इसका परिणाम मोबाईल नेटवर्क में तकनीकी विशेषताओं तथा मोबाईल यंत्रों पर निर्भर करेगा जिसका कॉल प्राप्त करने वाली पार्टी उपयोग करती है । उपभोक्ता के दृष्टिकोण के मद्देनजर 3जी नेटवर्क को 2जी नेटवर्कों के भीतर रोमिंग की आवश्यकता होगी, उपभोक्ता इसमें भेद करने में सक्षम नहीं होंगे कि क्या नेटवर्क जिस पर वे रोमिंग कर रहे हैं वह 3जी है या 2जी । 2जी नेटवर्क पर ध्वनि कॉल समापन सेवाओं को विनियमित करने का कारण 3जी नेटवर्क पर भी उसी प्रकार लागू होता है तथा इस सेवा के लिए प्रौद्योगिकीय अवशून्यता मार्गदर्शक प्रेरणा के रूप में सहायक हो सकती है । इस मामले में 2जी तथा 3जी ध्वनि समापन हेतु एक समान प्रभार उचित प्रतीत होता है ।

5.12.4 2जी और 3जी के लिए असममित प्रभार हेतु 3जी केपेक्स तथा ओपेक्स, माइग्रेशन पैटर्न तथा 2जी और 3जी नेटवर्क के बीच बेहतर तालमेल की बेहतर समझ होनी जरूरी है । 2जी और 3जी पर ध्वनि समापन का असममित विनियम एक या दूसरे नेटवर्क को इस आधार पर उपयोग करने हेतु अकार्यकुशल रूप से प्रोत्साहन देगा कि क्या समापक प्रभार राजस्व अधिक है अथवा विनियम कम है । इन सेवा प्रदाताओं को हमेशा कुछ आंतरिक सूचनाएं उपलब्ध हो सकती हैं जोकि ट्राई को पता न हो तथा जिसका इनके

छाप वाणिज्यिक रूप से दोहन किया जा सकता है । इसलिए इस प्रकार विनियम संसाधनों के अकार्यकुशल उपयोग का कारण बन सकता है ।

5.12.5 अगर 3जी के लिए समापन प्रभार को अप्रविरत रखा जाता है तो यह अनौचित्य रूप से उच्च स्तर पर जाकर ठहर सकता है जिससे इसी प्रकार की ध्वनि सेवाओं के लिए एक समान अवसर समाप्त हो सकता है । अगर ऐसा होता है तो नेटवर्क पर ट्रैफिक आंतरिक रूप से समाप्त हो सकता है जिससे सेवा प्रदाताओं को मौद्रिक लाभ प्राप्त होगा ।

## 6. अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों का आकलन

6.1 लागत क्रियाविधि में बड़ी संख्या में उन सभी कारकों को शामिल किया गया जो निष्पक्ष, पारदर्शी, अग्रिम सोच, ठोस आर्थिक आधार वाले, आईयूसी प्रणाली के अपेक्षित उद्देश्यों को पूरा करने वाले तथा भारतीय वास्तविकता को दर्शाने वाले हों । सेवा प्रदाताओं और अन्य पणधारकों के दावों और प्रतिदावों की सावधानीपूर्वक जांच की गई । पणधारकों द्वारा सुझाई गई अपनाई जाने वाली लागत क्रियाविधियों और दृष्टिकोणों पर ध्यान दिया गया । वर्तमान आईयूसी में प्रयुक्त दृष्टिकोण की पूंजी और प्रचालनात्मक लागत वसूली, अपेक्षित डाटा की उपलब्धता, प्रयुक्त धारणाओं की विश्वसनीयता, यदि कोई हो, और अग्रिम सोच संबंधी विशेषताओं के निपटान की दृष्टि से बारीकी से जांच की गई । विभिन्न कारणों से जिनमें से कई पर खंड 5.3 में चर्चा की गई है, पूर्णतया आवंटित लागत क्रियाविधि जिसमें समापन प्रभार हेतु संगत ओपेक्स का प्रयोग होता है, को वर्तमान समीक्षा हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माना गया । भारतीय बाजार अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है । अभी भी नए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं और समान अवसर वाले क्षेत्र को सुनिश्चित करना अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा के लिए खोले जाने के समय था ।

6.2 टॉप-डाउन दृष्टिकोण के साथ पूर्णतया आवंटित लागत क्रियाविधि का उपयोग करके समापन प्रभार का निर्धारण करने में प्राधिकरण को दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करना पड़ा । पहला उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना था । दूसरा उद्देश्य व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं के एएसआर डाटा की गोपनीयता को बनाए रखना था जैसाकि उन्होंने अनुरोध किया था । पहले उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त सभी डाटा और संगणनाओं को इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है । गोपनीयता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राधिकरण ने व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं के डाटा के स्थान पर समेकित डाटा प्रकाशित करने का निर्णय लिया ।

### 6.3 मोबाइल समापन प्रभार

6.3.1 चयनित क्रियाविधि को पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से लागू किया जाता है । इस प्रक्रिया में मोबाइल समापन प्रभार हेतु अपेक्षित बुनियादी इनपुट नेटवर्क द्वारा संचालित प्रयोग मिनट (एमओयू) तथा संगत ओपेक्स है । पारदर्शी अपेक्षा के होते हुए भी व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं के डाटा का उपयोग उस व्यक्ति के कारोबारी निर्णयों को शामिल करेगा जो ओपेक्स तथा उनके प्रचालन की अक्षमताओं को प्रभावित करेगा । यह अप्रत्यक्ष रूप से अन्य सेवा प्रदाताओं की ओर संकेत करेगा, चयनित सेवा प्रदाता को अति दक्ष बनाएगा और कारोबारी प्रचालन की नम्यता को खत्म कर देगा । एक व्यक्तिगत सेवा प्रदाता की क्षमता का उचित उपयोग करने की अयोग्यता के फलस्वरूप कम एमओयू होगा और इससे समापन प्रभार भी प्रभावित होगा । इसके अतिरिक्त, केवल समापन प्रभार मूल्य द्वारा ही किसी सेवा प्रदाता की दक्षता का पता नहीं लगाया जा सकता है । दूसरी ओर, उद्योग के समग्र संगत ओपेक्स का उपयोग करने से सभी व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं को अपने चयनित कारोबारी मॉडल को आगे बढ़ाने और प्रचालन दक्षता को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने का मौका मिलेगा । अतः प्राधिकरण ने वायरलेस उद्योग के कुल संगत ओपेक्स का उपयोग करके उसे उसी अवधि में वायरलेस नेटवर्क द्वारा संचालित कुल मिनट संख्या से भाग देकर समापन प्रभार का आकलन करने का निर्णय लिया ।

6.3.2 प्राधिकरण ने उद्योग के विश्वसनीय डाटा के स्रोत के तौर पर लेखांकन पृथक्करण विनियम, 2004 के प्रफोर्मा बी पर विश्वास जताया । प्रफोर्मा के प्रत्येक लागत शीर्ष/मद को सारणी 6.1 में दिया गया है । लागत के प्रत्येक शीर्ष के संघटक एएसआर विनियम के भाग हैं और उन्हें यहां वर्णित नहीं किया गया है । लागत के किसी शीर्ष में शामिल किए गए सभी उप-शीर्ष भी स्वतः शामिल हो जाते हैं । जैसाकि वर्तमान प्रक्रिया में खंड 5.5 में स्पष्ट किया गया है कुल वीएएस राजस्व को कुल ओपेक्स में से नहीं घटाया गया है । कुल राजस्व के वीएएस राजस्व के अनुपात का प्रयोग कुल संगत ओपेक्स के उपयुक्त प्रतिशत को घटाने योग्य रूप में लिया गया है । चूंकि वीएएस राजस्व कुल राजस्व का लगभग 10 प्रतिशत है अतः ओपेक्स के केवल 10 प्रतिशत को वीएएस की गणना हेतु घटाया गया है ।

सारणी 6.1 : लेखांकन पृथक्करण रिपोर्ट के प्रफोर्मा बी का सार (लाभ और हानि विवरण-सेवा) रिपोर्ट	
विवरण	टिप्पणी
सकल राजस्व	उद्योग के सकल एआरपीयू का अनुमान लगाने हेतु प्रयुक्त
लागत मद	निपटान
(अंतरसंयोजन प्रभार) से गुजरने वाले	शामिल नहीं किया गया
लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार	समापन प्रभार हेतु अनुपातिक रूप से शामिल
नियोजन लागत	शामिल
प्रशासनिक लागत	शामिल
बिक्री और विपणन	शामिल नहीं किया गया
अनुरक्षण लागत	शामिल
नेटवर्क प्रचालन लागत	शामिल
मूल्यहास और ऋणशोध	शामिल नहीं किया गया
वित्त प्रभार	शामिल नहीं किया गया
अन्य लागत [नियत परिसंपत्तियों की (नेट) की बिक्री की हानि को छोड़कर]	शामिल

6.3.3 जैसाकि सारणी में देखा जा सकता है अक्टूबर, 2003 में पूर्ववर्ती आईयूसी विनियमों में छोड़ी गई मदों को पुनः छोड़ दिया गया है । 'बिक्री और विपणन' लागत मद मूलतः वे हैं जो प्रत्येक प्रचालक अपने कारोबार को बढ़ाने पर खर्च करता है और अंतरसंयोजन प्रचालकों पर इस लागत का भार डालना तर्कसंगत नहीं है । उदाहरण के लिए, कोई कंपनी अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसी सेलिब्रिटी को बोर्ड में ले सकता है और इस निर्णय की लागत को अंतरसंयोजन नेटवर्क पर पास नहीं किया जाना चाहिए । वित्त प्रभार, मूल्यहास और ऋणशोध मूलतः केपेक्स की वसूली के स्वरूप के हैं और इसलिए इन्हें संगत ओपेक्स की गणना हेतु प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

6.3.4 एमटीसी के प्राक्कलन हेतु प्रयुक्त डाटा को वित्त वर्ष 2007-08 के एएसआर से लिया गया है । सारणी 6.2 में वायरलेस उद्योग का समेकित डाटा निहित है ।

सारणी 6.2 : वायरलेस खंड के लाभ और हानि खाते के सार का विवरण (2007-08)		
क्र. सं.	विवरण	करोड़ रुपये में
1.	कुल राजस्व	78738.89
2.	कुल व्यय	61902.05
	<b>घटा :</b>	
3.	मूल्यहास	11598.11
4.	वित्त लागत	287.74
5.	कुल प्रचालनात्मक व्यय (ओपेक्स)	50016.20
	<b>घटा :</b>	
6.	बिक्री और विपणन	8717.17
7.	से पास (अंतरसंयोजन प्रभार)	14839.20
8.	लाइसेंस शुल्क	6152.75
9.	<b>संगत ओपेक्स</b>	20307.08
10.	ईबीआईडीटीए मार्जिन	36.5 प्रतिशत
11.	कुल ओपेक्स के संगत ओपेक्स का प्रतिशत	40.60 प्रतिशत
12.	प्रति प्रयोक्ता (एआरपीयू-सकल) सकल औसत राजस्व रुपये/माह	308
स्रोत : वित्त वर्ष 2007-08 की लेखांकन पृथक्करण रिपोर्ट		

#### 6.3.5 मोबाइल समापन प्रभार का प्राक्कलन

प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2007-08 के लिए सेवा प्रदाताओं के पी एंड एल खातों की जांच की और उनका विश्लेषण किया । यह नोट किया गया कि प्रति प्रयोक्ता (एआरपीयू-सकल) औसत सकल राजस्व पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2007-08 की अवधि में गिरावट का रुख दर्शाता है जबकि उद्योग का ईबीआईडीटीए मार्जिन उसी अवधि में लगभग 35 से लगभग 36 प्रतिशत बढ़ा ।

6.3.6 जब उस अवधि में सबस्क्राइबरों की संख्या में वृद्धि की जांच की गई तो यह नोट किया गया कि केवल जनवरी, 2009 में ही उद्योग में 15 मिलियन से अधिक सबस्क्राइबर

जुड़े जबकि वर्ष 2008 में प्रतिमाह औसत लगभग 9 मिलियन थी । अतः एमटीसी के प्राक्कलन हेतु भावी वर्षों के लिए प्रति सबस्क्राइबर संगत ओपेक्स पर पहुंचने के लिए प्राधिकरण ने ईबीआईटीडीए मार्जिन और उद्योग का एआरपीयू का अनुमान लगाया। प्राधिकरण ने नोट किया कि उद्योग ईबीआईटीडीए मार्जिन को निरंतर बनाए हुए हैं और वस्तुतः दो सूचीबद्ध दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 40 प्रतिशत से 42 प्रतिशत की रेंज में अपना ईबीआईटीडीए मार्जिन घोषित किया है। तथापि, प्राधिकरण इस बात से सचेत है कि भविष्य में अधिक विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में होगा जिससे सेवा प्रदाताओं के ईबीआईटीडीए मार्जिन पर दबाव पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने विचार किया कि यह अधिक उचित होगा कि 32 प्रतिशत ईबीआईटीडीए मार्जिन आने वाले वर्षों के लिए एम टीसी का अनुमान लगाते हुए उद्योग के लिए लिया जाए, प्राधिकरण आशा करता है कि पिछले वर्षों के रुझानों के आधार पर समग्र एआरपीयू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 280 रु. होगा । वर्ष 2007-08 और पिछले वर्षों के एएसआर आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि संगत ओपेक्स का प्रतिशत जिसे एमटीसी के लिए विचार किया जाना चाहिए 43 प्रतिशत होना चाहिए। ये अनुमान लेखा पृथक्करण रिपोर्ट में उपलब्ध वित्तीय और गैर वित्तीय सूचना पर आधारित है। प्राधिकरण ने विभिन्न नेटवर्कों पर एमओयू के पैटर्न की सर्कलवार जांच की और पाया कि प्रति उपभोक्ता प्रति महीने उपयोग का औसत मिनट (एमओयू) उसी अवधि के लिए 440 से 450 तक बढ़ गया है। तथापि, आगे यह देखा गया है कि वर्ष 2008-09 की पहली तीन तिमाहियों में एमओयू में गिरावट देखी गई है। उपर्युक्त मानकों और अनुपातों के आधार पर , यह अनुमान लगाया गया था कि संगत ओपेक्स प्रति उपभोक्ता प्रति महीने 82 रु. होगा। इसमें आगे समायोजन किया गया जैसाकि पहले ही स्पष्ट किया गया है कि वीएएस राजस्व को ध्यान में रखा गया है। वीएएस के लिए समायोजित संगत ओपेक्स प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह 74 रु. आता है। प्रति उपभोक्ता समायोजित संगत ओपेक्स को एमटीसी प्राप्त करने के लिए एमओयू से विभाजित किया गया जो प्रति मिनट 0.20 रु. आता है। गणना का विवरण निम्नलिखित तालिका 6.3 में दिया गया है।

तालिका 6.3 : मोबाइल समापन प्रभार (एमटीसी)		
विवरण	यूनिट	धनराशि
प्रति प्रयोक्ता समग्र औसत राजस्व (एआरपीयू-समग्र) प्रति माह	रु.	280
ईबीआईटीडीए मार्जिन	%	32%
कुल प्रचालन खर्च (मूल्यहास एवं वित्त प्रभार को छोड़कर)	रु.	190
कुल ओपेक्स की तुलना में संगत ओपेक्स का प्रतिशत	%	43%
<b>संगत ओपेक्स</b>	<b>रु.</b>	<b>82</b>
घटाना – संगत ओपेक्स का आवंटन ( 10% ) वीएएस के लिए	रु.	8
<b>संगत ओपेक्स (वीएएस) के लिए समायोजित</b>	<b>रु.</b>	<b>74</b>
प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह मिनट का उपयोग	मिनट	425
लाइसेंस एवं स्पेक्ट्रम शुल्क के बिना एमटीसी	रु. प्रति मिनट	0.17
लाइसेंस एवं स्पेक्ट्रम शुल्क	%	12%
लाइसेंस एवं स्पेक्ट्रम शुल्क के साथ एमटीसी	रु. प्रति मिनट	0.20

#### **6.4 फिक्सड (नियत) समापन प्रभार**

6.4.1 जैसाकि बीएसएनएल के पास वायरलेस व्यापार (~78 % ) का सबसे बड़ा भाग है, बीएसएनएल वायरलेस नेटवर्क के आंकड़ों को मुख्य आदान के रूप में लिया गया है लेकिन यही नियत समापन प्रभार (एफटीसी) की गणना के लिए एकमात्र आदान नहीं है। किसी दूसरे फिक्सड नेटवर्क से संबंधित आंकड़े पदस्थ नेटवर्क के आकार की अपेक्षा काफी छोटे नेटवर्क पर आधारित हैं, परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में बीएसएनएल द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर, एमओयू प्रति उपभोक्ता, प्रति माह 511 आता है और अनुमानित एफटीसी 48 पैसे आता है। प्राधिकरण ने यह लागत आंकड़े और मिनट पहले की गई एक्सरसाइज से लिए हैं जब एफटीसी 23 पैसे प्रति मिनट था। दोनों गणनाओं में मुख्य अंतर बीएसएनएल द्वारा दर्शाए गए प्रति उपभोक्ता कम एमओयू के कारण है। पिछली एक्सरसाइज में एमओयू प्रति उपभोक्ता 950 लिया गया था। चूंकि बीएसएनएल ने अपने प्रस्तुति में अत्यधिक कटौती दर्शाई है। प्राधिकरण ने इस मामले का और विस्तार से विश्लेषण करने का निर्णय लिया है।

6.4.2 बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में अन्य सेल्युलर आपरेटरों से बीएसएनएल फिक्सड नेटवर्क में आने वाले इनकमिंग मिनटों की संख्या में स्पष्ट विसंगति दिखती है। बीएसएनएल ने फिक्सड समापन प्रभार की अपनी गणना में 1823 करोड़ मिनट दिखाया गया है। इन मिनटों की सेल्युलर आपरेटरों द्वारा ट्राई को दी गई त्रैमासिक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से प्रति जांच की गई। अन्य सेल्युलर आपरेटरों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार ये मिनट वर्ष 2007-08 के लिए 3114 करोड़ हैं। इन वर्ग में अकेले ही बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत मिनटों में 70 प्रतिशत का भारी अंतर है। अन्य मिनट जैसे बीएसएनएल फिक्सड से बीएसएनएल फिक्सड लाइन आदि की किसी दूसरे स्रोत से जांच नहीं की गई। इस अंतर को यदि उसी अनुपात में अन्य प्रकार की कालों पर भी लागू किया जाता है तो यह वायर लाइन के लिए अलग समापन प्रभार होगा, लेकिन जैसाकि मोबाइल सेवा अपनी पूरी सामर्थ्य से बढ़ रही है, कुल इनकमिंग और आउटगोइंग मिनटों में इस तरह की अत्यधिक कमी अतार्किक प्रतीत होती है।

6.4.3 यद्यपि लेखांकन पृथक्करण विनियम, 2004 के अंतर्गत एमओयू प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बीएसएनएल ने अपने फिक्सड लाइन नेटवर्क के लिए अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की है जिससे आंकड़ों की समुचित लेखापरीक्षा की जा सकती थी। वर्तमान आईयूसी एक्सरसाइज के लिए बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत आंकड़े, इस तथ्य के बावजूद कि एमओयू फिक्सड समापन प्रभार की गणना के लिए संकेतक के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा, समापन प्रभार की गणना के लिए एकमात्र कसौटी के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। एकाउंटिंग सैपरेशन रेगुलेशन में ट्रैफिक हैंडलिंग कैपसिटी और अरलैंग्स स्विचिंग नेटवर्क के कैपसिटी प्रयोग के बारे में भी सूचना देना अपेक्षित है (ट्रैफिक ब्यौरे के शीर्ष के अंतर्गत) लेकिन बीएसएनएल द्वारा यह सूचना नहीं दी गई। स्विचिंग नेटवर्क कैपसिटी प्रयोग के अभाव में, प्राधिकरण ने निवेश उपयोग का पता लगाने के लिए टर्नओवर अनुपात (राजस्व/नियोजित पूंजी ) का प्रयोग किया जो सामान्य राजस्व के लिए संसाधनों के उपयोग को दर्शाता है। प्राधिकरण ने नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए बीएसएनएल के एकाउंटिंग सैपरेशन रिपोर्ट के अनुसार टर्न ओवर अनुपात लगभग 35

प्रतिशत था, जबकि स्वीकार्य मानकों के अनुसार जैसाकि प्राधिकरण ने अपने अन्य आदेशों में अंगीकार किया है यह 60 से 70 प्रतिशत की रेंज में होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए मोबाइल उद्योग का टर्नओवर अनुपात 91 प्रतिशत है।

6.4.4 प्राधिकरण ने आगे इस तथ्य को नोट किया है कि 2003 के विनियम में समापन प्रभारों का परिकलन करने के लिए 950 एमओयू का उपयोग किया गया था, इसलिए बीएसएनएल का नेटवर्क 950 एमओयू को संभालने हेतु सक्षम है। सैद्धांतिक आयोजना क्षमता पूर्णरूप से प्राप्त नहीं की गई है परंतु अगर उपयोगिता के एक स्तर की प्राप्ति कर ली गई है तो कमी प्रचालक विशिष्ट कारणों के चलते हो सकती है। सामान्य रूप से स्वीकृत लागत सिद्धांतों के अनुसार मूल्यवर्ग, विक्रय या विक्रय योग्य इकाईयों से अधिक होना चाहिए। इसलिए स्थिर समापन प्रभार के परिकलन के लिए यह 950 एमओयू को मूल्यवर्ग के सामान्य रूप से स्वीकृत लागत सिद्धांत के अनुरूप होगा।

6.4.5 इसे ओपेक्स दृष्टिकोण से देखें तो यह पाया गया कि मोबाइल सेवा के लिए बीएसएनएल ईबीआईटीडीए मार्जिन लगभग 65 प्रतिशत है जोकि इस उद्योग के 35 प्रतिशत के औसत से कहीं अधिक है। जो स्पष्ट रूप से फिक्स्ड लाइन सेवा की ओर अधिक प्रचालनात्मक लागत आवंटन को दर्शाता है।

6.4.6 प्राधिकरण एफटीसी का दो तरीकों से अनुमान लगाती है (क) बीएसएनएल द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में 950 एमओयू के साथ उपलब्ध कराए गए लागत आंकड़ों के आधार पर (ख) मोबाइल समापन प्रभार के लिए 32 प्रतिशत का ईबीआईटीडीए मार्जिन लेते हुए तथा अनुमानित एआरपीयू 400 रुपये प्रतिमाह बनता है। ईबीआईटीडीए का यह समायोजन इस आधार पर औचित्यपूर्ण है कि बीएसएनएल ने मोबाइल सेवाओं के लिए 65 प्रतिशत का ईबीआईटीडीए मार्जिन दर्शाया है जोकि औसत मोबाइल उपयोग के ईबीआईटीडीए मार्जिन से अधिक है। दूसरे ओपेक्स के एक भाग को लेवल-11 टीएएक्स से एसडीसीसी तक कैरिज/ट्रांजिट प्रभार द्वारा सृजित राजस्व के भाग द्वारा वसूला जाता है। इस पद्धति का उपयोग करते हुए : (क) अनुमानित एफटीसी 950 एमओयू आधारित बीएसएनएल द्वारा दिए गए लागत आंकड़ों के अनुसार लगभग 26 पैसा मिनट आता है। यदि बीएसएनएल मोबाइल सेवा के ईबीआईटीडीए मार्जिन को मोबाइल उद्योग के औसत ईबीआईटीडीए मार्जिन के साथ संरक्षित किया जाए तो यह अनुमान आगे और कम हो जाएगा। इस पद्धति का उपयोग करते हुए (ख) ईबीआईटीडीए मार्जिन पर आधारित एफटीसी का उपयोग करते हुए टर्मिनेशन प्रभाग 0.20 रुपये प्रति मिनट निकलता है। तालिका 6.4 का अवलोकन किया जा सकता है :-

तालिका 6.4 फिक्स्ड समापन प्रभार का आंकलन		
विवरण	इकाई	राशि
प्रति उपयोगकर्ता सकल औसत राजस्व	रुपये	400
ईबीआईटीडीए मार्जिन	प्रतिशत	32 प्रतिशत
कुल प्रचालनात्मक व्यय (मूल्यहास तथा वित्तीय प्रभार के अलावा)	रुपये	272
कुल ओपेक्स में संगत ओपेक्स का प्रतिशत	रुपये	65 प्रतिशत
संगत ओपेक्स	रुपये	177
प्रति उपयोगकर्ता प्रतिमाह उपयोग के मिनट	मिनट	950
बिना लाइसेंस फीस के एफटीसी	रुपये प्रति मिनट	0.19

लाइसेंस फीस	प्रतिशत	8 प्रतिशत
बिना लाइसेंस फीस के एफटीसी	रूपये प्रति मिनट	0.20

6.4.7 इन गणितीय परिकलनों से इतर प्राधिकरण ने फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं के दृष्टिकोण तथा ग्राहक के दृष्टिकोण से मामले की गुणवत्ता जांच की है। सेवा प्रदाताओं के मद्देनजर अगर उच्च स्थिर प्रभार विहित किए जाते हैं तो यह मोबाइल नेटवर्कों के हित में ट्रेफिक को मोड़ देगा तथा फिक्स्ड लाइन की ओर ट्रेफिक को कम कर देगा। इससे नेटवर्क का कम उपयोग होगा तथा एफटीसी में और अधिक वृद्धि होगी। ग्राहक के दृष्टिकोण से मोबाइल पर समापन तथा फिक्स्ड लाइन पर समापन आंशिक रूप से प्रतिस्थापी सेवा है तथा इसलिए ग्राहक को इनमें से एक सेवा के लिए उच्च समापन प्रभार देना होगा। चूंकि इससे किसी भी सेवा प्रदाता के नेटवर्क का कम उपयोग होता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने मोबाइल तथा फिक्स्ड लाइन के लिए एक समान समापन प्रभार जारी रखने का निर्णय लिया।

## 6.5 कैरिज प्रभार

6.5.1 वर्ष 2007-08 के लिए राष्ट्रीय लंबी दूरी के मुख्य प्रचालकों (एनएलडीडीएस) के विश्लेषण से यह उद्घटित होता है कि कुछ सेवा प्रदाता जो मुख्यतः उच्च ट्रेफिक रूटों पर कॉल को ले जाते हैं वे नियोजन पूंजी पर लाभ (आरओसीई) 29 प्रतिशत तक अधिक है। उच्च आरओसीई एनएलडी सेगमेंट में उच्च ट्रेफिक रूटों पर उच्च मार्जिन को दर्शाता है। तथापि, वहीं पूर्णरूप से देश में मौजूदगी वाले सेवा प्रदाता तथा लगभग सभी एसडीसीए में अवसंरचना वाले सेवा प्रदाताओं की धारणीयता को नए कैरिज प्रभार विहित किए जाने से पहले देखना होगा। यह पाया गया कि वे सेवा प्रदाता जिनकी पूर्ण देश में मौजूदगी है वे लगभग 15 प्रतिशत का आरओसीई का सृजन करने में सक्षम है। इसलिए कैरिज प्रभार के लिए कम सीलिंग प्रभार विहित करना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। अगर बीएसएनएल के लिए कम प्रभार विहित किया जाता है अथवा कोई अन्य सेवा प्रदाता जिसकी स्वयं दूरदराज तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूदगी है, इस प्रकार की सेवाओं की एनएलडी प्रचालन की धारणीयता को धक्का लगेगा तथा सेवा प्रदाता इस प्रकार के दुर्गम क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने से हतोत्साहित होंगे।

6.5.2 उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण ने प्रति मिनट 65 पैसा की अधिकतम सीमा को बनाए रखने का निर्णय लिया ताकि बीएसएनएल तथा इसी स्थिति में अन्य प्रचालक द्वारा लागत को वसूला जा सके। प्राधिकरण यह भी आशा करता है कि एनएलडीडी में एक्सेस प्रदाताओं को उच्च ट्रेफिक रूट पर कम कैरिज प्रभार प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

## 6.6 स्तर-11 टीएक्स से एसडीसीसी के लिए ट्रांजिट/कैरिज प्रभार

6.6.1 जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े में सेल्युलर प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की तुलना में बीएसएनएल नेटवर्क पर अन्य सेल्युलर प्रचालकों द्वारा आने वाली कॉलों के मिनटों में स्पष्ट विसंगति दिखाई देती है। बीएसएनएल ने 2007-08 के लिए लेवल-11 टीएक्स से एसडीसीसी

तक कैरिज प्रभार का परिकलन करने के लिए सेल्युलर मोबाईल से फिक्स्ड लाइन तक 1823 करोड़ मिनट लिए । इन मिनटों के आधार पर बीएसएनएल ने 24 पैसा/मिनट का प्रभार दर्शाया है । तथापि, जब इन मिनटों को सेल्युलर प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से मिलाया गया तो यह लगभग 3114 करोड़ मिनट निकला जोकि 70 प्रतिशत की बड़ी भिन्नता का पता लगता है । अगर मिनटों में शुद्धता, सेल्युलर प्रचालकों तथा बीएसएनएल फिक्स्ड लाइन पर लागू की जाती है तो यह 0.15 रुपये बनता है ।

## 6.7 अंतरा एसडीसीए ट्रांजिट प्रभार

6.7.1 बीएसएनएल ने अंतरा एसडीसीए अथवा टीएएक्स ट्रांजिट प्रभारों के लिए परिकलन करने का अनुरोध किया गया था तथापि, उन्होंने इंटरा एसडीसीए या टीएएक्स ट्रांजिट प्रभारों के संबंध में लागत आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं । आंकड़ों की अनुपलब्धता में प्राधिकरण ने उसी सिद्धांत को जारी रखने का निर्णय लिया जिसके बारे में अक्टूबर, 2003 के प्रधान विनियम में निर्णय लिया गया था, अर्थात् यह प्रभार स्तर-11 टीएएक्स से एसडीसीसी कैरिज/ट्रांजिट प्रभार के लिए लागू प्रभार से कम होना चाहिए ।

6.7.2 चूंकि ट्रांजिटिंग की लागत यहां विहित मूल्य से कम होनी चाहिए क्योंकि काल की ट्रांजिटिंग के लिए कोई कैरिज शामिल नहीं है । प्राधिकरण यह आशा करता है कि बीएसएनएल इस सीलिंग से नीचे कॉल ट्रांजिटिंग करने के लिए सेवा प्रदाताओं पर एक युक्तिसंगत प्रभार उद्ग्रहित करेगी ।

## 7. इन विनियमों में निर्धारकों का सार

- (i) सभी प्रकार की घरेलू कॉलों के समापन प्रभार को 30 पैसा प्रति मिनट से कम करके 20 पैसा प्रति मिनट कर दिया गया है ।
- (ii) आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए समापन प्रभार मौजूदा 30 पैसा प्रति मिनट की तुलना में 40 पैसा प्रति मिनट होगा ।
- (iii) घरेलू लंबी दूरी की कॉलों के लिए सीलिंग को 65 पैसा प्रति मिनट ही बरकरार रखा गया है । रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को विहित कर दिया गया है ।
- (iv) कोई भी प्रारंभन प्रभार विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है । प्रारंभन सेवा प्रदाता अन्य आईयूसी के भुगतान के बाद बचे शेष से प्रारंभन प्रभार को अपने पास रखेगा ।
- (v) स्तर-11 ट्रंक ओटोमेटिक एक्सचेंज से शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया (एसडीसीए) तक ट्रांजिट/कैरिज प्रभार 15 पैसे प्रति मिनट होगा ।
- (vi) इंटरा एसडीसीए तथा टीएएक्स प्रभार 15 पैसा प्रति मिनट से कम होना चाहिए ।
- (vii) एसएमएस के लिए आईयूसी प्रविरत बना रहेगा । तथापि, यह प्रभार पारदर्शी, अन्योन्य तथा भेदभावपूर्ण नहीं होने चाहिए । रिपोर्टिंग अपेक्षाएं विहित की गई हैं ।
- (viii) उस ध्वनि कॉलों के लिए समापन प्रभार 2जी ध्वनि कॉलों के समान ही रहेगा ।

(ix) नए प्रभार 1 अप्रैल, 2009 से लागू होंगे।